

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL

PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

Original Application No. 737/2023

IN THE MATTER OF:

Society for Voice of Human Rights and Justice & Anr. Applicant(s)


Versus

Mahalaxmi Land and Finance Company & Ors. Respondent(s)

INDEX

S. NO.	PARTICULARS	PG. NO.
1.	<u>RESPONSE/REPORT FILED BY THE DISTRICT MAGISTRATE, GHAZIABAD, STATE OF UTTAR PRADESH IN COMPLIANCE OF THE ORDER DATED 27.08.2024</u>	1-7
2.	<u>ANNEXURE R1:</u> TRUE COPY OF THE ORDER OF THE H.C. IN WRIT PETITION NO. 11754/2002	8
3.	<u>ANNEXURE R2:</u> TRUE COPY OF THE LETTER DATED 12.12.2005 BY THE THEN TEHSILDAR	9-13
4.	<u>ANNEXURE R3:</u> TRUE COPY OF THE LETTER NO. 8/2005-06 DATED 19.12.2005 BY THE S.D.M.	14-20
5.	<u>ANNEXURE R4:</u> TRUE COPY OF THE REPORT DATED 08.05.2024	21-50
6.	<u>ANNEXURE R5:</u> TRUE COPY OF THE CURRENT PHOTOS TAKEN ON SITE AND THE MAP OF THE KHASRA NO. 1564	51-57

Filed Through: -

DATE: 09.09.2024
PLACE: GHAZIABADBhanwar Pal Singh Jadon
Standing Counsel, State of Uttar Pradesh
bhanwar09jadon@gmail.com

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL**PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI**

Original Application No. 737/2023

IN THE MATTER OF:

Society for Voice of Human Rights and Justice & Anr. Applicant(s)

Versus

Mahalaxmi Land and Finance Company & Ors. Respondent(s)

**RESPONSE/REPORT FILED BY THE DISTRICT MAGISTRATE,
GHAZIABAD, STATE OF UTTAR PRADESH IN COMPLIANCE OF THE
ORDER DATED 27.08.2024**

1. That the applicant in this present before this Hon'ble Tribunal Original Application has made a plea that Survey No. 2476 and 1564 (hereinafter referred to as **Khasra No.**) comprising of an area of 0.961 hectare as per revenue record is a lake (hereinafter referred to as **Jheel**) but on that lake area, residential construction is being raised by Mahalaxmi Land and Finance Company, Shalimar i.e., Respondent No. 1 in violation of the environmental norms. It was further submitted by the applicant in support of the plea that the land in question is a Jheel, which is supported giving reference to the revenue record on page 49 filed as additional document on 25.01.2024. along with the Original Application before this Hon'ble Tribunal.

2. That the Hon'ble Tribunal took cognizance of the matter at hand and directed the undersigned to ascertain the correct position relating to nature of the land and also the extent of construction, if any, made on the land of the Jheel and submit the report.
3. It is submitted to this Hon'ble Tribunal with utmost regard and veracity that the undersigned had submitted a report dated 08.05.2024 in compliance of the Hon'ble Tribunal's order dated 01.03.2024, outlining the details of the Khasra No. 2476 and 1564. That in this report the Sub-Divisional Magistrate (hereinafter referred to as **S.D.M.**) vide letter no. 4085/ST-SDM/2024 dated 08.05.2024 has elaborated and brought to this Hon'ble Tribunal's notice about the current nature of the Khasra No. 1564 and 2476 have been described as given below:

A. **Khasra No. 1564-** That this land with an area of 0.961 ha in village Pasunda Pargana, Loni Tehsil & District Ghaziabad. It is cognate to emphasize the fact here that as per the Extract of Khatauni annexed in the report of 08.05.2024. It is clear and evident that the current nature of the land maintained by the Bhulekh, Uttar Pradesh is that of a Jheel (**annexure on pg. no. 68-69 of the Judicial File**). That the relevant paragraph with regard to this has been mentioned hereinunder (**pg. no. 65 of the Judicial File**)-

“खसरा संख्या 1564 क्षेत्रफल 0.961 है। ग्राम पसौंडा परगना लोनी तहसील व जिला गाजियाबाद की वर्तमान खतौनी फसली वर्ष 1430-1435 के खाता संख्या 3623 पर झील के नाम अंकित है। प्रश्नगत खसरा नं० की भूमि पर लगभग 40 वर्षों से सघन आबादी बनी हुयी है जिसमें लगभग 80 मकान पूर्व से बने हुये हैं। मौके का फोटो, खतौनी व सुपर इम्पोजनक्शे की छायाप्रति संचग्रक 1 है।”

B. **Khasra No. 2476-** That this land spread in an area of 0.0760 ha village Pasunda Pargana Loni, Tehsil & District Ghaziabad is declared under the name of Hindon Air Field (Indian Air Force) and also presently the said land under the Khasra No. 2476 is within the boundary of the Indian Air Force owned land. It is pertinent to mention here that this land was never under the category or nature of any Jheel or Pond since the time such records were maintained. That the relevant paragraph has been mentioned below for this Hon'ble Tribunal's assistance (**pg. no. 65 of the Judicial File**)-

“खसरा संख्या 2476 क्षेत्रफल 0.0760 है0 ग्राम पसौंडा परगना लोनी तहसील व जिला गाजियाबाद की वर्तमान खतौनी फसली वर्ष 1430-1435 के खाता संख्या 3647 पर हिण्डन एयर फिल्ड (भारतीय वायु सेना) के नाम अंकित है तथा मौके पर भी उक्त खसरा नं० की भूमि भारतीय वायुसेना की बाउण्ड्री के अन्दर है। उक्त भूमि तालाब/ झील की भूमि नहीं रही है।”

4. It is apposite to draw the attention of this Hon'ble Tribunal to the fact that in the letter mentioned in above paragraph no. 3, it has been stated that in relation to the Khasra No. 1564 in question a Writ Petition bearing no. 11754/2002, Municipal Corporation (Nagar Nigam) vs. Board of Revenue was filed by the Municipal Corporation, Ghaziabad in the Hon'ble High Court of Allahabad. That this petition is currently pending before the Hon'ble High Court for adjudication (**pg. no. 65-66 of the Judicial File**).
5. It is material to state here about the background and historical context of the litigations that have been adjudicated and decided related to the land in question i.e., Khasra No. 1564. That the same are given date wise hereinunder:

- i) **08.08.1979-** Mahalaxmi Land & Finance Co. Pvt. Ltd. (hereinafter referred to as **Mahalaxmi**) filed a case before the then Sub Divisional Officer or S.D.O., Ghaziabad for getting the said land registered under their name. It was ordered by the S.D.O., Ghaziabad to name it as '**Abadi**'.
- ii) **YEAR 1983-** The same case was again filed before the S.D.M., Ghaziabad who overruled the earlier order and named the land in question as '**Colony Mahalaxmi Land & Finance Co. Pvt. Ltd abadi**'.
- iii) **23.03.1985-** The said case was enquired by the S.D.M. who named it as '**Abadi**' again.
- iv) **12.06.1985-** Mahalaxmi then approached the Additional Commissioner, Meerut Division for setting aside the above order dated 23.03.1985. The then Additional Commissioner, Meerut Division ruled in favour of Mahalaxmi and put the land under their name.
- v) **29.08.1996-** The Nagar Nigam approached the Hon'ble Board of Revenue for directing an order in the matter of the said land. The Board ruled for setting aside all the above orders and categorized this land as a Government Land.
- vi) **30.09.1996-** Mahalaxmi filed a Writ Petition No. 1993/1996 before the High Court (hereinafter referred to as **H.C.**). The H.C. passed an order dated 30.09.1996 to set aside above quoted order dated 29.08.1996 and remanded back the matter to the S.D.M., Ghaziabad for fresh hearing u/s 33/39 (now sections 32/38) of the Uttar Pradesh Revenue Code.
- vii) **15.10.1999-** S.D.M. taking cognizance of the matter passed an order to declare the land under the category of only '**Abadi**'.

- viii) **13.07.2000-** Mahalaxmi went to Additional Commissioner, Meerut Division against the above impugned order of S.D.M., Ghaziabad dated 15.10.1999. The Additional Commissioner, Meerut Division passed an order to set the S.D.M., Ghaziabad order aside and named the land as '**Colony Mahalaxmi Land & Finance Co. Pvt. Ltd abadi.**
- ix) **28.11.2001-** Nagar Nigam in the year 2001 approached the Hon'ble Board of Revenue to take the matter into consideration. The Hon'ble Board of Revenue dismissed the appeal of Nagar Nigam.
- x) **YEAR 2002-** Nagar Nigam filed a Writ Petition No. 11754/2002 before the Hon'ble High Court, Allahabad Bench, Uttar Pradesh in which the H.C. passed an order to put a stay on the order cited above dated 28.11.2001.
- TRUE COPY OF THE ORDER OF THE H.C. IN WRIT PETITION NO. 11754/2002 HAS BEEN ANNEXED HEREIN AS **ANNEXURE R1**
- xi) **YEAR 2005-** An application was filed to the Chief Minister of Uttar Pradesh for making them aware of the true nature of the Khasra No. 1564 which is a **Jheel** and therefore, that it is neither **Abadi** nor **Colony Mahalaxmi Land & Finance Co. Pvt. Ltd abadi.**
- xii) **12.12.2005-** In response to the above upon the direction of Special Secretary to the Chief Minister, State of Uttar Pradesh, an enquiry was conducted by the then Tehsildar and it was found in his report that all the subsequent entries until now were forged which have to be rectified in reference to Khasra No. 1564 which was finally named or classified as a **Jheel.**
- TRUE COPY OF THE LETTER DATED 12.12.2005 BY THE THEN TEHSILDAR HAS BEEN ANNEXED HEREIN AS **ANNEXURE R2**

xiii) 19.12.2005- The then S.D.M. Mr. Dharmendra Pratap Singh vide letter no. 8/2005-06 dated 19.12.2005 took cognizance of the matter after examining the report dated 12.12.2005 filed by the Tehsildar and passed an order exercising the power given to him by the then Sections 33 & 39 (now Sections 32 & 38) of the Uttar Pradesh Revenue Code, 2006. In the said order it was Ordered by the S.D.M. that the land in question before this Hon'ble Tribunal is of the true nature of a **Jheel** and therefore, any other name in the Khasra No. 1564 must be repealed or omitted and it should be categorized as a '**Jheel**'.

TRUE COPY OF THE LETTER NO. 8/2005-06 DATED 19.12.2005 BY THE S.D.M. HAS BEEN ANNEXED HEREIN AS **ANNEXURE R3**

6. It is expedient to apprise the Hon'ble Tribunal here that on 19.12.2005 as alluded above under the heading **(xiii)**, the S.D.M. had passed an order to rectify the error or omit the forged entry to label the land in question i.e., Khasra No. 1564 under its true nature of a '**Jheel**'. It is significant and appropriate to bring to the notice of this Hon'ble Tribunal that the same information regarding the Khasra No. 1564 has been mentioned in the letter of the S.D.M. attached to the District Magistrate report dated 08.05.2024 **(pg. no. 65 of the Judicial File)** along with the Extract of Khatauni **(pg. no. 68-69 of the Judicial File)** maintained by Bhulekh, Uttar Pradesh annexed in the same report.

TRUE COPY OF THE REPORT DATED 08.05.2024 FILED BY THE UNDERSIGNED HAS BEEN ANNEXED HEREIN AS **ANNEXURE R4**

7. It is germane to mention here that as no Counsel was appearing on behalf of the undersigned or State to assist the Hon'ble Tribunal therefore, the inconvenience was caused to the Hon'ble Tribunal. For the same the undersigned tender sincere apology. It is also humbly submitted before this Hon'ble Tribunal to kindly consider these findings and take note of the fact that this Khasra No. 1564 is a 'Jheel' and cannot be considered as owned by anyone privately.

TRUE COPY OF THE CURRENT PHOTOS TAKEN ON SITE AND THE MAP OF THE KHASRA NO. 1564 HAS BEEN ANNEXED HEREIN AS ANNEXURE R5

8. That the present Report/Response is being filed in compliance of order dated 27.08.2024 of this Hon'ble Tribunal.


Filed by
जिला मजिस्ट्रेट
ग़ाज़ीआबाद
District Magistrate

Ghaziabad, Uttar Pradesh

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD
CIVIL SIDE
APPELLATE/ORIGINAL JURISDICTION

Dated Allahabad, the - 18/03/2002

PRESENT : The Hon'ble Justice - YATINDRA SINGH, J.

Civil Misc. Writ Petition No. - 11754 of 2002

(Order on the Memo)

Nagar Nigam Ghaziabad through Mukhya Nagar Adhikari Nagar Nigam
Ghaziabad _____
Appellants
Petitioners

Versus

The Board of Revenue, U.P. (Camp Meerut) District Meerut and
Others _____
Respondents.

DISTRICT- GHAZIABAD

(Photostat copy of the array of the parties is attached.)

ORDER

Issue notice.

Notice on behalf of respondents No.1, 2 and 3 have been accepted by the Standing Counsel. Issue notice to respondent No.4 by registered post. List for admission after service upon respondent No.4. Till further order of the Court, operation of the order dated 28.10.2001 shall remain stayed.

Dt:18.3.02

Sd/-Yatindra Singh, J.

MS
Ex. by

24-08-24

TRUE COPY
24/08/2024
Assistant Registrar
Copying Misc. 'E' Section
High Court, Allahabad

HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

सीलदार,
नयाबाद ।

ANNEXURE R2

महोदय,

कृपया विशेष सचिव, मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ महोदय के पत्र व उसके साथ संलग्न श्री हरि केवल प्रसाद, मा0 सांसद लोकसभा के पत्र दिनांक 8.04.2005 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें । पत्र द्वारा श्री अशोक छाबडा द्वारा शालीमार गार्डन, छाबडा कालोनी आदि में विक्रय की गयी सरकारी भूमि की जांच कराने का अनुरोध किया गया है । इस प्रार्थना पत्र के सम्बन्ध में जांच की गयी । जांच खतौनी फसली वर्ष 1362 फसली से प्रारम्भ की गयी तथा वर्तमान खतौनी 1412 से 1417 तक की गयी । इन विभिन्न फसली वर्षों में अशोक छाबडा, उसके पिता, उसकी माता व उसकी कम्पनी मै0 महालक्ष्मी लैण्ड एण्ड फाईनेन्स कं0 के नाम सरकारी भूमि फर्जी तरीके से अंकित किया जाना प्रकाश में आया है । इस समस्त जांच को निम्न प्रारूप में, प्रविष्टि किये जाने के प्रकार के साथ, विस्तृत रूप से दर्शाया गया है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि प्रविष्टियां किस प्रकार फर्जी तरीके से की गयी है ।

क्र. सं.	खतौनी फसली वर्ष	खाता संख्या	भूमि की श्रेणी	खसरा संख्या	क्षेत्रफल	व्यक्ति जिसका नाम राजस्व अभिलेखों में अंकित किया गया	नाम अंकित करने का तरीका	विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8.	9
1.	1362	678	बजर	863 911 946/1 950 1067 1078 1081 1082 1088 1292 1317 1322मि 1373 1509 1516 1517 1527/2 1536मि. 1557 1560 1561 1565 1577 1604मि. 1605	0-6-0 0-13-0 0-7-0 0-11-0 0-6-0 0-3-0 0-4-10 1-0-5 2-17-13 7-0-0 11-19-0 2-3-0 0-5-0 1-0-0 0-8-0 0-17-0 0-16-0 0-8-0 6-14-0 7-13-0 4-16-0 2-10-0 0-6-0 0-6-0 0-15-0	-	-	इस खाते के खसरा संख्या 1509 रकबा 1-0-0 व 1517 रकबा 0-9-0 पर लाल स्याही से दुली चन्द पुत्र कल्लूमल निवासी पसौण्डा के नाम व खसरा संख्या 1557मि0 क्षेत्रफल 1-18-15 पर वशीर पुत्र नजीर निवासी पसौण्डा व 1557 मि रकबा 1-17-0 पर कल्लू पुत्र एवज निवासी पसौण्डा के नाम लाल स्याही से अंकित किये गये हैं । इन अमलदरामदों पर किसी भी लेखपाल के कोई हस्ताक्षर नहीं हैं । केवल तिथि अंकित है, जिससे प्रथम दृष्टया ही यह प्रतीत हो रहा है कि अमलदरामद फर्जी ढंग से किया गया है । इसलिये यह प्रविष्टियां निरस्त किये जाने योग्य हैं ।

			1606 1607 1610 1614 1619 1621 1628 1629 1630 1631 1632 1634 1642 1666 1692 1693 1725मि. 1564 1363 1447	0-4-0 1-3-0 0-3-0 0-10-0 1-2-0 1-18-0 0-3-0 0-8-0 0-4-0 0-3-0 0-3-0 0-9-0 0-1-0 0-3-0 5-2-0 0-4-0 5-12-0 5-19-0 0-10-0 2-16-0			
2	1375 से 1377 फ0	889	1078 1088/3 1725/1	0-3-0 2-17-13 0-4-0	ऑफिशियल लिव्हीडेटर नेशनल प्लानर्स लि0 नई दिल्ली।	लाल स्याही से श्रेणी-4 का खाता बनाया गया है।	1362 फसली में यह भूमि बंजर के खाते में अंकित थी तथा इस भूमि पर किसी प्रकार की कोई प्रविष्टि नहीं थी, किन्तु इस खतौनी में बंजर की भूमि पर श्रेणी-4 का खाता बना दिया गया है। जिसका कोई आधार नहीं दर्शाया गया है तथा इस प्रविष्टि से सम्बन्धित कोई आदेश आदि का हवाला भी खाते पर अंकित नहीं है। 1362फ0 के बाद से व 1375फ0 के मध्य किसी समय कूट रचना करके खातेदार द्वारा इस भूमि पर श्रेणी-4 में अपने नाम अंकित करा लिये गये 1362 व 1369, 1371 से 1375 के बीच की खतौनियां गायब हैं। उपरोक्त से स्पष्ट है कि खातेदार के नाम पर प्रविष्टि फर्जी तरीके से की गयी थी। अतः यह प्रविष्टि निरस्त होने योग्य है।
3	1378 से 1381 फ0	833	1078 1088/3 1725/1	0-3-0 2-17-13 0-4-0	ऑफिशियली लिव्हीडेटर नेशनल प्लानर्स लि0 नई दिल्ली	काली स्याही से श्रेणी-4 में खाता बनाया गया है।	1362 फसली में यह भूमि बंजर के खाते में अंकित थी तथा इस भूमि पर किसी प्रकार की कोई प्रविष्टि नहीं थी, किन्तु 1375-1377 फसली में इन खसरा संख्याओं पर श्रेणी-4 की प्रविष्टि फर्जी तरीके से की गयी थी। इस खतौनी में पुनः बंजर की भूमि पर श्रेणी-4 का खाता बना दिया गया है। जिसका कोई आधार नहीं दर्शाया गया है तथा इस प्रविष्टि से सम्बन्धित कोई आदेश आदि का


								हवाला भी खाते पर अंकित नहीं है। उपरोक्त से स्पष्ट है कि खातेदार के नाम पर प्रविष्टि फर्जी तरीके से की गयी थी। अतः यह प्रविष्टि निरस्त होने योग्य है।
4	1390 से 1396फ0	822	-	863 946/1 950 1081 1088/3 1292 1363 1373 1527/2 1536/2 1557मि 1565 1577 1604 1605मि 1606 1607 1610 1614 1619 1621 1628 1629 1630 1631 1632 1642 1666 1692 1693 1725/1	0-6-0 0-7-0 0-11-0 0-4-10 2-17-13 3-13-5 0-10-0 0-5-0 0-16-0 0-7-0 0-8-14 2-6-0 0-6-0 0-3-0 0-8-0 0-1-17 0-12-15 0-3-0 0-10-0 1-2-0 1-18-0 0-0-18 0-8-0 0-4-0 0-3-0 0-3-0 0-0-10 0-0-12 1-3-12 0-4-0 5-7-0	आबादी कालोनी महालक्ष्मी लैण्ड एण्ड फाईनेन्स कॉ	काली स्याही से श्रेणी-6(2) का खाता बनाया गया है।	1362 फसली में यह भूमि बंजर के खाते में अंकित थी। इस खतौनी में बंजर की भूमि पर खाता बना दिया गया है। जिसका कोई आधार नहीं दर्शाया गया है तथा इस प्रविष्टि से सम्बन्धित कोई आदेश आदि का हवाला भी खाते पर अंकित नहीं है। 1362फ0 के बाद से किसी समय कूट रचना करके खातेदार द्वारा इस भूमि पर अपने नाम अंकित करा लिये गये 1362 व 1369, 1371 से 1375 के बीच की खतौनिया गायब है। उपरोक्त से स्पष्ट है कि खातेदार के नाम पर प्रविष्टि फर्जी तरीके से की गयी थी। इस खाते पर परगनाधिकारी के आदेश वाद संख्या 17/84-85 के द्वारा महालक्ष्मी लैण्ड एण्ड फाईनेन्स का नाम खारिज करके केवल आबादी दर्ज करने का आदेश है तथा इसके बाद अपर आयुक्त, मेरठ मण्डल, मेरठ द्वारा निगरानी संख्या 21/84-85 में पारित आदेश द्वारा परगनाधिकारी का उक्त आदेश स्थगित किया गया है। क्योंकि प्रविष्टि फर्जी आधार पर की गयी है, अतः प्रविष्टि निरस्त होने योग्य है। इस खाते का खसरा संख्या 1363 मार्ग है।
5	1405 से 1410फ0	1550		863 946/1 950 1081 1088/3 1292 1363	0.076 0.089 0.139 0.057 0.729 0.926 0.126	आबादी कालोनी महालक्ष्मी लैण्ड एण्ड फाईनेन्स कॉ	काली स्याही से श्रेणी-6(2) का खाता बनाया गया है।	1362 फसली में यह भूमि बंजर के खाते में अंकित थी। इस खतौनी में बंजर की भूमि पर खाता बना दिया गया है। जिसका कोई आधार नहीं दर्शाया गया है तथा इस प्रविष्टि से सम्बन्धित कोई आदेश आदि का हवाला भी खाते

			1373	0.063			पर अंकित नहीं है। पूर्व खतौनी में भी यह फर्जी खाता बनाया गया था। पुनः इस बार यह खाता फर्जी तरीके से बना दिया गया है। इस खाते पर परगनाधिकारी के आदेश वाद संख्या 17/84-85 के द्वारा महालक्ष्मी लैण्ड एण्ड फाईनेन्स का नाम खारिज करके केवल आबादी दर्ज करने का आदेश है तथा इसके बाद अपर आयुक्त, मेरठ मण्डल, मेरठ द्वारा निगरानी संख्या 21/84-85 में पारित आदेश द्वारा परगनाधिकारी का उक्त आदेश स्थगित किया गया है। इस खाते पर मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ बैंच का एक आदेश अमलदरामद को यथावत रखने सम्बन्धी भी अंकित है। क्योंकि प्रविष्टि फर्जी आधार पर की गयी है, अतः प्रविष्टि निरस्त होने योग्य है। इस खाते का खसरा संख्या 1363 व 1447 मार्ग है व 1564 झील है।
			1516	0.038			
			1527 / 2	0.202			
			1536 / 2	0.089			
			1557मि	0.110			
			1565	0.582			
			1577	0.076			
			1604मि	0.038			
			1605मि	0.101			
			1606	0.024			
			1607	0.162			
			1610मि	0.038			
			1614	0.126			
			1619	0.278			
			1621	0.481			
			1628	0.012			
			1629	0.101			
			1630	0.051			
			1631	0.038			
			1632	0.038			
			1642मि	0.006			
			1666	0.008			
			1692मि	0.298			
			1693	0.051			
			1725 / 1	1.354			
			1564	0.961			
			1447	0.569			
6	1412 से 1417फ0	2476	863	0.076	आबादी कालोनी महालक्ष्मी लैण्ड एण्ड फाईनेन्स कं0	कम्प्यूटर खतौनी	1362 फसली में यह भूमि बंजर के खाते में अंकित थी। इस खतौनी में बंजर की भूमि पर खाता बना दिया गया है। जिसका कोई आधार नहीं दर्शाया गया है तथा इस प्रविष्टि से सम्बन्धित कोई आदेश आदि का हवाला भी खाते पर अंकित नहीं है। पूर्व खतौनी में भी यह फर्जी खाता बनाया गया था। पुनः इस बार यह खाता फर्जी तरीके से बना दिया गया है। इस खाते पर परगनाधिकारी के आदेश वाद संख्या 17/84-85 के द्वारा महालक्ष्मी लैण्ड एण्ड फाईनेन्स का नाम खारिज करके केवल आबादी दर्ज करने का आदेश है तथा इसके बाद अपर आयुक्त, मेरठ मण्डल, मेरठ द्वारा निगरानी संख्या 21/84-85 में पारित आदेश द्वारा परगनाधिकारी का उक्त आदेश स्थगित किया गया है। इस खाते पर मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ बैंच का एक आदेश अमलदरामद को यथावत रखने सम्बन्धी भी अंकित है। क्योंकि प्रविष्टि फर्जी आधार पर की गयी है, अतः
			946 / 1	0.089			
			950	0.139			
			1081	0.057			
			1088 / 3	0.729			
			1292	0.926			
			1363	0.126			
			1373	0.063			
			1516	0.038			
			1527 / 2	0.202			
			1536 / 2	0.089			
			1557मि	0.110			
			1565	0.582			
			1577	0.076			
			1604मि	0.038			
			1605मि	0.101			
			1606	0.024			
			1607	0.162			
			1610मि	0.038			
			1614	0.126			
			1619	0.278			
			1621	0.481			
			1628	0.012			
			1629	0.101			
			1630	0.051			
			1631	0.038			
			1632	0.038			


9/5
05/5

		1642मि	0.006		प्रविष्टि निरस्त होने योग्य है। इस खाते का खसरा संख्या 1363 व 1447 मार्ग है व 1564 झील है।
		1666	0.008		
		1692मि	0.298		
		1693	0.051		
		1725/1	1.354		
		1564	0.961		
		1447	0.569		


उपरोक्त समस्त फर्जी प्रविष्टियों को निरस्त करते हुए भूमि राज्य सरकार में निहित किये जाने की सूचना सहित आख्या सेवा में प्रेषित है।


12-12-05


12/12/05


NTCM)
12.12.05

उपजिलाधिकारी महोदय की सेवा
में न. न. त. मुख्यालय की आख्या
सहमति सहित प्रेषित है।


12/12/05
तहसीलदार
गजियाबाद

परगनाधिकारी/सहायक कलेक्टर (प्रथम श्रेणी) गाजियाबाद ।
 संख्या : 8 / 2005-06 अन्तगत धारा-33/39 उपरोक्त धारा-39
 ग्राम पसौण्डा परगना लोनी तहसील व जिला गाजियाबाद
 सरकार बनाम अशोक भाबडा आदि

निर्णय

विशेष सचिव, मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ के पत्र व उसके साथ संलग्न श्री हरि केवल प्रसाद, मा0 सांसद लोकसभा के पत्र दिनांक 8.04.2005 के सम्बन्ध में श्री अशोक भाबडा आदि द्वारा ग्राम पसौण्डा, परगना लोनी, तहसील व जिला गाजियाबाद में फर्जी दंग से सरकारी भूमि को बचे जाने के सम्बन्ध में तहसीलदार गाजियाबाद से जांच करायी गयी । तहसीलदार, गाजियाबाद ने अपनी जांच आख्या दिनांक 12.12.2005 में अवगत कराया है कि "कृपया विशेष सचिव, मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ महोदय के पत्र व उसके साथ संलग्न श्री हरि केवल प्रसाद, मा0 सांसद लोकसभा के पत्र दिनांक 8.04.2005 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें । पत्र द्वारा श्री अशोक भाबडा द्वारा शालीमार गार्डन, भाबडा कालोनी आदि में विक्रय की गयी सरकारी भूमि की जांच कराने का अनुरोध किया गया है । इस प्रार्थना पत्र के सम्बन्ध में जांच की गयी । जांच खतौनी फसली वर्ष 1362 फसली से प्रारम्भ की गयी तथा वर्तमान खतौनी 1412 से 1417 तक की गयी । इन विभिन्न फसली वर्षों में ग्राम पसौण्डा की अशोक भाबडा, उसके पिता, उसकी माता व उसकी कम्पनी मै0 महालक्ष्मी लैण्ड एण्ड फार्निनेस को के नाम सरकारी भूमि फर्जी तरीके से अंकित किया जाना प्रकाश में आया है । इस समस्त जांच को निम्न प्रारूप में प्रविष्टि किये जाने के प्रकार के साथ विस्तृत रूप से दर्शाया गया है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि प्रविष्टियां किस प्रकार फर्जी तरीके से की गयी हैं ।

क्र. सं.	खतौनी फसली वर्ष	खाता संख्या	भूमि की श्रेणी	खसरा संख्या	क्षेत्रफल	व्यक्ति जिसका नाम राजस्व अभिलेखों में अंकित किया गया	नाम अंकित करने का तरीका	विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8.	9
1.	1362	678	बजर	863 911 946/1 950 1067 1078 1081 1082 1088 1292 1317 1322मि 1373 1509 1516 1517 1527/2 1536मि. 1557 1560	0-6-0 0-13-0 0-7-0 0-11-0 0-6-0 0-3-0 0-4-10 1-0-5 2-17-13 7-0-0 11-19-0 2-3-0 0-5-0 1-0-0 0-8-0 0-17-0 0-16-0 0-8-0 6-14-0 7-13-0	-	-	इस खाते के खसरा संख्या 1509 रकबा 1-0-0 व 1517 रकबा 0-9-0 पर लाल रयाही से दुन्डी चन्द पुत्र कल्लुमल निवासी पसौण्डा के नाम व खसरा संख्या 1557मि0 क्षेत्रफल 1-18-15 पर वशीर पुत्र नजीर निवासी पसौण्डा व 1557 मि रकबा 1-17-0 पर कल्लु पुत्र एवज निवासी पसौण्डा के नाम लाल रयाही से अंकित किये गये हैं । इन अमलदरायदों पर किसी भी लेखपाल के कोई हस्ताक्षर नहीं हैं । केवल तिथि अंकित है, जिससे प्रथम दृष्टया ही यह प्रतीत हो रहा है कि अमलदरायद फर्जी दंग से किया गया है । इसलिये यह प्रविष्टियां निरस्त किये जाने योग्य हैं ।

(Handwritten signature)

			1561 1565 1577 1604मि. 1605 1606 1607 1610 1614 1619 1621 1628 1629 1630 1631 1632 1634 1642 1666 1692 1693 1725मि. 1564 1363 1447	4-16-0 2-10-0 0-6-0 0-6-0 0-15-0 0-4-0 1-3-0 0-3-0 0-10-0 1-2-0 1-18-0 0-3-0 0-8-0 0-4-0 0-3-0 0-9-0 0-1-0 0-3-0 5-2-0 0-4-0 5-12-0 5-19-0 0-10-0 2-16-0			
2	1375 से 1377 फ0	889	1078 1088 / 3 1725 / 1	0-3-0 2-17-13 0-4-0	आफिशियल लिक्वीडेटर नेशनल प्लानर्स लि0 नई दिल्ली।	लाल स्याही से श्रेणी-4 का खाता बनाया गया है।	1362 फसली में यह भूमि बंजर के खाते में अंकित थी तथा इस भूमि पर किसी प्रकार की कोई प्रविष्टि नहीं थी, किन्तु इस खतौनी में बंजर की भूमि पर श्रेणी-4 का खाता बना दिया गया है। जिसका कोई आधार नहीं दर्शाया गया है तथा इस प्रविष्टि से सम्बन्धित कोई आदेश आदि का हवाला भी खाते पर अंकित नहीं है। 1362फ0 के बाद से व 1375फ0 के मध्य किसी समय कूट रचना करके खातेदार द्वारा इस भूमि पर श्रेणी-4 में अपने नाम अंकित करा लिये गये 1362 व 1369, 1371 से 1375 के बीच की खतौनियां गायब हैं। उपरोक्त से स्पष्ट है कि खातेदार के नाम पर प्रविष्टि फर्जी तरीके से की गयी थी। अतः यह प्रविष्टि निरस्त होने योग्य है।
3	1378 से 1381 फ0	833	1078 1088 / 3 1725 / 1	0-3-0 2-17-13 0-4-0	ऑफिशियली लिक्वीडेटर नेशनल प्लानर्स लि0 नई दिल्ली	काली स्याही से श्रेणी-4 में खाता बनाया गया है।	1362 फसली में यह भूमि बंजर के खाते में अंकित थी तथा इस भूमि पर किसी प्रकार की कोई प्रविष्टि नहीं थी, किन्तु 1375-1377 फसली में इन खसरा संख्याओं पर श्रेणी-4 की प्रविष्टि फर्जी तरीके से की गयी थी। इस खतौनी में पुनः बंजर की भूमि पर श्रेणी-4 का खाता बना दिया गया है।

							जिसका कोई आधार नहीं दर्शाया गया है तथा इस प्रविष्टि से सम्बन्धित कोई आदेश आदि का हवाला भी खाते पर अंकित नहीं है। उपरोक्त से स्पष्ट है कि खातेदार के नाम पर प्रविष्टि फर्जी तरीके से की गयी थी। अतः यह प्रविष्टि निरस्त होने योग्य है।	
4	1390 से 1396फ0	822	-	863 946/1 950 1081 1088/3 1292 1363 1373 1527/2 1536/2 1557मि 1565 1577 1604 1605मि 1606 1607 1610 1614 1619 1621 1628 1629 1630 1631 1632 1642 1666 1692 1693 1725/1	0-6-0 0-7-0 0-11-0 0-4-10 2-17-13 3-13-5 0-10-0 0-5-0 0-16-0 0-7-0 0-8-14 2-6-0 0-6-0 0-3-0 0-8-0 0-1-17 0-12-15 0-3-0 0-10-0 1-2-0 1-18-0 0-0-18 0-8-0 0-4-0 0-3-0 0-3-0 0-0-10 0-0-12 1-3-12 0-4-0 5-7-0	आबादी कालोनी महालक्ष्मी लैण्ड एण्ड फाईनेन्स कं0	काली स्याही से श्रेणी-6(2) का खाता बनाया गया है।	1362 फसली में यह भूमि बंजर के खाते में अंकित थी। इस खतौनी में बंजर की भूमि पर खाता बना दिया गया है। जिसका कोई आधार नहीं दर्शाया गया है तथा इस प्रविष्टि से सम्बन्धित कोई आदेश आदि का हवाला भी खाते पर अंकित नहीं है। 1362फ0 के बाद से किसी समय कूट रचना करके खातेदार द्वारा इस भूमि पर अपने नाम अंकित करा लिये गये 1362 व 1369, 1371 से 1375 के बीच की खतौनियां गायब हैं। उपरोक्त से स्पष्ट है कि खातेदार के नाम पर प्रविष्टि फर्जी तरीके से की गयी थी। इस खाते पर परगनाधिकारी के आदेश वाद संख्या 17/84-85 के द्वारा महालक्ष्मी लैण्ड एण्ड फाईनेन्स का नाम खारिज करके केवल आबादी दर्ज करने का आदेश है तथा इसके बाद अपर आयुक्त, मेरठ मण्डल, मेरठ द्वारा निगरानी संख्या 21/84-85 में पारित आदेश द्वारा परगनाधिकारी का उक्त आदेश स्थगित किया गया है। क्योंकि प्रविष्टि फर्जी आधार पर की गयी है, अतः प्रविष्टि निरस्त होने योग्य है। इस खाते का खसरा संख्या 1363 मार्ग है। नोट :- खतौनी 1390 से 1396 में खाता सं0 1 से 50 तक के पृष्ठ फटे हैं जिस कारण शेष खसरा नम्बरों की जांच की जानी सम्भव नहीं है।
5	1405 से 1410फ0	1550		863 946/1 950 1081 1088/3 1292	0.076 0.089 0.139 0.057 0.729 0.926	आबादी कालोनी महालक्ष्मी लैण्ड एण्ड फाईनेन्स कं0	काली स्याही से श्रेणी-6(2) का खाता बनाया गया है।	1362 फसली में यह भूमि बंजर के खाते में अंकित थी। इस खतौनी में बंजर की भूमि पर खाता बना दिया गया है। जिसका कोई आधार नहीं दर्शाया गया है तथा इस प्रविष्टि से सम्बन्धित कोई

			1363	0.126			<p>आदेश आदि का हवाला भी खाते पर अंकित नहीं है। पूर्व खतौनी में भी यह फर्जी खाता बनाया गया था। पुनः इस बार यह खाता फर्जी तरीके से बना दिया गया है। इस खाते पर परगनाधिकारी के आदेश वाद संख्या 17/84-85 के द्वारा महालक्ष्मी लैण्ड एण्ड फाईनेन्स का नाम खारिज करके केवल आबादी दर्ज करने का आदेश है तथा इसके बाद अपर आयुक्त, मेरठ मण्डल, मेरठ द्वारा निगरानी संख्या 21/84-85 में पारित आदेश द्वारा परगनाधिकारी का उक्त आदेश स्थगित किया गया है। इस खाते पर मा० उच्च न्यायालय, लखनऊ बैंच का एक आदेश अमलदरामद को यथावत रखने सम्बन्धी भी अंकित है। क्योंकि प्रविष्टि फर्जी आधार पर की गयी है, अतः प्रविष्टि निरस्त होने योग्य है। इस खाते का खसरा संख्या 1363 व 1447 मार्ग है व 1564 झील है।</p>
			1373	0.063			
			1516	0.038			
			1527 / 2	0.202			
			1536 / 2	0.089			
			1557मि	0.110			
			1565	0.582			
			1577	0.076			
			1604मि	0.038			
			1605मि	0.101			
			1606	0.024			
			1607	0.162			
			1610मि	0.038			
			1614	0.126			
			1619	0.278			
			1621	0.481			
			1628	0.012			
			1629	0.101			
			1630	0.051			
			1631	0.038			
			1632	0.038			
			1642मि	0.006			
			1666	0.008			
			1692मि	0.298			
			1693	0.051			
			1725 / 1	1.354			
			1564	0.961			
			1447	0.569			
6	1412 से 1417फ०	2476	863	0.076	आबादी कालोनी महालक्ष्मी लैण्ड एण्ड फाईनेन्स क०	कम्प्यूटर खतौनी	<p>1362 फसली में यह भूमि बंजर के खाते में अंकित थी। इस खतौनी में बंजर की भूमि पर खाता बना दिया गया है। जिसका कोई आधार नहीं दर्शाया गया है तथा इस प्रविष्टि से सम्बन्धित कोई आदेश आदि का हवाला भी खाते पर अंकित नहीं है। पूर्व खतौनी में भी यह फर्जी खाता बनाया गया था। पुनः इस बार यह खाता फर्जी तरीके से बना दिया गया है। इस खाते पर परगनाधिकारी के आदेश वाद संख्या 17/84-85 के द्वारा महालक्ष्मी लैण्ड एण्ड फाईनेन्स का नाम खारिज करके केवल आबादी दर्ज करने का आदेश है तथा इसके बाद अपर आयुक्त, मेरठ मण्डल, मेरठ द्वारा निगरानी संख्या 21/84-85 में पारित आदेश द्वारा परगनाधिकारी का उक्त आदेश स्थगित किया गया है। इस खाते पर मा० उच्च न्यायालय, लखनऊ बैंच का एक आदेश अमलदरामद को यथावत रखने सम्बन्धी भी अंकित है। क्योंकि प्रविष्टि फर्जी आधार पर की गयी है, अतः प्रविष्टि निरस्त होने योग्य है।</p>
			946 / 1	0.089			
			950	0.139			
			1081	0.057			
			1088 / 3	0.729			
			1292	0.926			
			1363	0.126			
			1373	0.063			
			1516	0.038			
			1527 / 2	0.202			
			1536 / 2	0.089			
			1557मि	0.110			
			1565	0.582			
			1577	0.076			
			1604मि	0.038			
			1605मि	0.101			
			1606	0.024			
			1607	0.162			
			1610मि	0.038			
			1614	0.126			
			1619	0.278			
			1621	0.481			
			1628	0.012			
			1629	0.101			
			1630	0.051			
			1631	0.038			
			1632	0.038			
			1642मि	0.006			

1666	0.008	इस खाते का खसरा संख्या 1363 व 1447 मार्ग है व 1564 झील है ।
1692मि	0.298	
1693	0.051	
1725/1	1.354	
1564	0.961	
1447	0.569	

उपरोक्त समस्त फर्जी प्रविष्टियों को निरस्त करते हुए भूमि राज्य सरकार में निहित किये जाने की सस्तुति सहित आख्या सेवा में प्रेषित है ।"

बाद दर्ज कर पक्षों को नोटिस जारी किया गया परन्तु कोई उपस्थित नहीं आया। विद्वान नाभिका चक्रील (राजस्व) के तर्कों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध तहसील की जांच आख्या दिनांक 12.12.2005 एवं अभिलेखों से विदित होता है कि ग्राम पसौण्डा में अशोक छाबडा आदि द्वारा फर्जी एवं कूटचित्त तरीके से राजस्व अभिलेखों में फर्जी प्रविष्टि कर अनुचित लाभ प्राप्त किया गया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ए0आई0आर0 1991 पृष्ठ 909 तथा 1983-4-पृष्ठ 323 के अन्तर्गत यह व्यवस्था दी गयी है कि फर्जी प्रविष्टि/अभिलेख के आधार पर पारित आदेश को बिना पक्षकार को सुनवाई का अवसर प्रदान किये निरस्त किया जा सकता है। इसी क्रम में मा0 राजस्व परिषद, उ0प्र0 द्वारा भी इन्हीं दृष्टान्तों के आधार पर आर0जे0 पृष्ठ 82 1992, आर0जे0 पृष्ठ 452 फुल बैंच 1991, आर0डी0 पृष्ठ 47 में प्रकाशित निर्णयों में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित विधिक स्थिति के आलोक में यह निर्णय दिये गये हैं कि नियम विरुद्ध/फर्जी इन्द्राजों को निरस्त करने से पूर्व सुनवाई का अवसर प्रदान किये जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसी क्रम में माननीय बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, लखनऊ में श्री ए0यू0खान, जे0एम0 द्वारा रिवीजन नं0 206/1990-91 जुलाई 20, 1995 चुनमुन बनाम गांव सभा में यह विधिक व्यवस्था प्रतिपादित की है कि जिस व्यक्ति द्वारा लेखपाल/राजस्व कर्मी के साथ धोखा-धड़ी से फर्जी प्रविष्टि करायी गयी हो, को निरस्त करते समय पक्षकार को सुनने का अधिकार प्राप्त नहीं है तथा रिब्यू संख्या 26 से 32, 1992-93, जुलाई 14, 1995 गांवसभा बनाम करहाली आदि के अन्तर्गत आर0डी0 पेज 458 से 461 में यह व्यवस्था दी गयी है कि फर्जी प्रविष्टियों को पक्षकार को बिना सुनवाई का अवसर दिये निरस्त किया जा सकता है। इसी प्रकार की व्यवस्था निर्देश संख्या 176 वर्ष 1985-86 एल0आर0सुल्तानपुर रमाशंकर बनाम सरकार निर्णय दिनांक 06.06.1991 में यह व्यवस्था दी गयी है कि फर्जी एवं जाली अमलदरामद को निरस्त करने के लिये प्रभावित पक्ष को सुनवाई का अवसर देना आवश्यक नहीं है। ऐसा न करने से नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों का किसी प्रकार से उल्लंघन या हनन नहीं होता है। प्रश्नगत सभी खसरा नम्बर 1362फ0 की खतौनी में बंजर, झील तथा मार्ग के रूप में सरकारी खाते में दर्ज थे तथा बाद की खतौनियों में यह खसरा नम्बरान विभिन्न व्यक्तियों तथा कम्पनियों के नाम बिना किसी वैध तरीके के दर्ज हो गया। नामान्तरण रजिस्टर तथा अभिलेखागार में कोई प्रविष्टि अथवा पत्रावली नहीं मिली, जिससे उपरोक्त प्रविष्टियां वैध सिद्ध हो सकें। उपरोक्त खसरा नम्बरान में कुछ खसरा नम्बर झील तथा मार्ग के खातों में भी दर्ज हैं जोकि धारा 132 ज0वि0 एवं भूमि सुधार अधि0 के अन्तर्गत आते हैं तथा इन पर किसी भी व्यक्ति अथवा कम्पनी को किसी भी प्रकार के अधिकार नहीं प्राप्त हो सकते हैं। स्पष्टतः उपरोक्त सभी प्रविष्टियां फर्जी हैं तथा निरस्त होने योग्य हैं। उपरोक्त विवेचना के आधार पर तहसीलदार गाजियाबाद की आख्या में अंकित ग्राम पसौण्डा की फर्जी प्रविष्टियों को निरस्त किया जाना परम आवश्यक है।

आदेश

श्री अशोक छाबडा आदि द्वारा फर्जी ढंग से ग्राम पसौण्डा, परगना लोनी, तहसील व जिला गाजियाबाद की सरकारी भूमि पर फर्जी प्रविष्टियां करके अपने नाम करा लिया गया, जिसे निम्नलिखित खतौनी वर्षों की खतौनियों में नीचे लिखे विवरण के अनुसार फर्जी प्रविष्टियों को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाता है तथा भूमि वापस बंजर, झील तथा मार्ग के खाते में दर्ज की जाती है।

1. खतौनी फसली वर्ष 1375 से 1377

खाता संख्या 889 के खसरा नम्बर 1078 रकबा 0-3-0, 1088/3 रकबा 2-17-13 व 1725/1 रकबा 0-4-0 पर फर्जी प्रविष्टि द्वारा अंकित आफिसियल लिक्विडेटर नेशनल प्लानर्स लि० नई दिल्ली का नाम खारिज होकर बंजर दर्ज हो ।

2. खतौनी फसली वर्ष 1378 से 1381

खाता संख्या 833 के खसरा नम्बर 1078 रकबा 0-3-0, 1088/3 रकबा 2-17-13 व 1725/1 रकबा 0-4-0 पर फर्जी प्रविष्टि द्वारा अंकित आफिसियल लिक्विडेटर नेशनल प्लानर्स लि० नई दिल्ली का नाम खारिज होकर बंजर दर्ज हो ।

3. खतौनी फसली वर्ष 1390 से 1396

खाता संख्या 822 के खसरा नम्बर 863 रकबा 0-6-0, 946/1 रकबा 0-7-0, 950 रकबा 0-11-0, 1081 रकबा 0-4-10, 1088/3 रकबा 21-7-13, 1292 रकबा 3-13-5, 1373 रकबा 0-5-0, 1527/2 रकबा 0-16-0, 1536/2 रकबा 0-7-0, 1557 मि रकबा 0-8-14, 1565 रकबा 2-6-0, 1577 रकबा 0-6-0, 1604मि रकबा 0-3-0, 1605मि रकबा 0-8-0, 1606 रकबा 0-1-17, 1607 रकबा 0-12-15, 1610 रकबा 0-3-0, 1614 रकबा 0-10-0, 1619 रकबा 1-2-0, 1621 रकबा 1-18-0, 1628 रकबा 0-0-18, 1629 रकबा 0-8-0, 1630 रकबा 0-4-0, 1631 रकबा 0-3-0, 1632 रकबा 0-3-0 1642 रकबा 0-0-10, 1666 रकबा 0-0-12, 1692 रकबा 1-3-12, 1725/1 रकबा 5-7-0 पर फर्जी प्रविष्टि द्वारा अंकित महालक्ष्मी लैण्ड एण्ड फाईनेन्स कं० का नाम खारिज होकर बंजर दर्ज हो ।

खाता सं० 822 के ख०सं० 1363 रकबा 0-10-0 से आबादी कालौनी महालक्ष्मी लैण्ड एण्ड फा० कम्पनी का नाम निरस्त होकर मार्ग दर्ज हो ।

4. खतौनी फसली वर्ष 1405 से 1410

खाता संख्या 1550 के खसरा नम्बर 863 रकबा 0.076, 946/1 रकबा 0.089, 950 रकबा 0.139, 1081 रकबा 0.057, 1088/3 रकबा 0.729, 1292 रकबा 0.926, 1373 रकबा 0.063, 1516 रकबा 0.038, 1527/2 रकबा 0.202, 1536/2 रकबा 0.089, 1557मि रकबा 0.110, 1565 रकबा 0.582, 1577 रकबा 0.076, 1604मि रकबा 0.038, 1605मि रकबा 0.101, 1606 रकबा 0.024, 1607 रकबा 0.162, 1610मि रकबा 0.038, 1614 रकबा 0.126, 1619 रकबा 0.278, 1621 रकबा 0.481, 1628 रकबा 0.012, 1629 रकबा 0.101, 1630 रकबा 0.051, 1631 रकबा 0.038, 1632 रकबा 0.038, 1642मि रकबा 0.006, 1666 रकबा 0.008, 1692मि रकबा 0.298, 1693 रकबा 0.051, 1725मि/1 रकबा 1.354, पर फर्जी प्रविष्टि द्वारा अंकित आबादी कालौनी महालक्ष्मी लैण्ड एण्ड फाईनेन्स कं० का नाम खारिज होकर बंजर दर्ज हो ।

खाता सं० 1550 के ख०सं० 1564 रकबा 0.961 पर आबादी कालौनी महालक्ष्मी लैण्ड एण्ड फाईनेन्स कं० का नाम खारिज होकर झील दर्ज हो तथा 1363 रकबा 0.126 एवं 1447 रकबा 0.569 पर आबादी कालौनी महालक्ष्मी लैण्ड एण्ड फाईनेन्स कं० का नाम खारिज होकर मार्ग दर्ज हो ।

क 517

खतौनी फसली वर्ष 1412 से 1417

खाता संख्या 2476 के खसरा नम्बर 863 रकबा 0.076, 946/1 रकबा 0.089, 950 रकबा 0.139, 1081 रकबा 0.057, 1088/3 रकबा 0.729, 1292 रकबा 0.926, 1373 रकबा 0.063, 1516 रकबा 0.038, 1527/2 रकबा 0.202, 1536/2 रकबा 0.089, 1557मि रकबा 0.110, 1565 रकबा 0.582, 1577 रकबा 0.076, 1604मि रकबा 0.038, 1605मि रकबा 0.101, 1606 रकबा 0.024, 1607 रकबा 0.162, 1610मि रकबा 0.038, 1614 रकबा 0.126, 1619 रकबा 0.278, 1621 रकबा 0.481, 1628 रकबा 0.012, 1629 रकबा 0.101, 1630 रकबा 0.051, 1631 रकबा 0.038, 1632 रकबा 0.038, 1642मि रकबा 0.006, 1666 रकबा 0.008, 1692मि रकबा 0.298, 1693 रकबा 0.051, 1725/1मि रकबा 1.354, पर फर्जी प्रविष्टि द्वारा अंकित महालक्ष्मी लैण्ड एण्ड फाईनेन्स कं० का नाम खारिज होकर बंजर दर्ज हो ।

खाता सं० 2476 के ख०सं० 1564 रकबा 0.961 पर आबादी कालौनी महालक्ष्मी लैण्ड एण्ड फाईनेन्स कं० का नाम खारिज होकर झील दर्ज हो तथा 1363 रकबा 0.126 एवं 1447 रकबा 0.569 पर आबादी कालौनी महालक्ष्मी लैण्ड एण्ड फाईनेन्स कं० का नाम खारिज होकर मार्ग दर्ज हो ।

इस आदेश की एक प्रमाणित प्रतिलिपि तहसीलदार गाजियाबाद को इस आशय से भेजी जाये कि वह उपरोक्त खसरा नम्बरान पर उपरोक्त आदेशानुसार प्रविष्टियाँ अंकित करें तथा सम्बन्धित दोषियों के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कराये तथा उपरोक्त खसरा नम्बरान पर तत्काल कब्जा प्राप्त करें । तहसीलदार गाजियाबाद उपरोक्त आदेश का अनुपालन करते हुए एक सप्ताह के अन्दर इस न्यायालय को अवगत कराये। इस आदेश की एक प्रति जिलाधिकारी, गाजियाबाद को अवलोकनार्थ भेजी जाये । इस न्यायालय की पत्रावली बाद आवश्यक कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो ।

दिनांक: 19.12.2005



(धर्मन्द्र प्रताप सिंह)
परगनाधिकारी/सहायक कलेक्टर (प्रथम श्रेणी)
गाजियाबाद ।

प्रेषक,

जिलाधिकारी,
गाजियाबाद

सेवा में,

रजिस्ट्रार,
मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण,
नई दिल्ली।

08
दिनांक मई, 2024

संख्या 3417 / एस0टी0-डी0एम0 / 2024

विषय :-

ओ0ए0 संख्या-737 / 2023, सोसायटी फॉर ह्यूमन राइट्स बनाम महालक्ष्मी लैण्ड एण्ड फाइनेन्स जस्टिस एवं अन्य के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 01-03-2024 में आदेश पारित करते हुए निर्देशित किया गया कि प्रकरण पर कार्यवाही कराकर दिनांक 10-05-2024 से पूर्व आख्या भिजवाना सुनिश्चित कराये।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा उपरोक्त पारित आदेश में निम्न दो बिन्दुओं पर कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया:-

1- सर्वे संख्या-2476 एवं 1564 जिसमें राजस्व रिकार्ड के अनुसार 0.961 वर्ग गज का क्षेत्र शामिल है, एक झील है लेकिन उस झील क्षेत्र पर महालक्ष्मी लैंड एण्ड फाइनेन्स कम्पनी, शालीमार पर्सौडा, गाजियाबाद द्वारा अनियमितताओं के साथ आवासीय निर्माण किया जा रहा है।

2- गाटा/आराजी संख्या- 606 के रूप में पहचानी गई कृषि भूमि सिंति ग्राम टीला शाहबाजपुर तहसील लोनी गाजियाबाद में पृथ्वी लिंक और डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक नितिन कोचर और अन्य अनाधिकृत निर्माण गतिविधियां संचालित की गई।


उपरोक्त दोनो बिन्दुओं पर उपजिलाधिकारी लोनी द्वारा जॉच आख्या संख्या- 4079/एस0टी0-एस0डी0एम0/2024 दिनांक 09 मई, 2024 में अवगत कराया कि सर्वे संख्या- 2476 एवं 1564 तहसील सदर गाजियाबाद हसे सम्बन्धित है तथा गाटा/आराजी संख्या-606 ग्राम टीला शाहबाजपुर का पारित आदेश के अनुसार में दिनांक 04-05-2024 को मौके का स्थलीय निरीक्षण किया गया जिसमें तथ्य निम्नवत पाये गये:-

प्रश्नगत स्थल गाटा/आराजी संख्या- 606 स्थित ग्राम टीला शाहबाजपुर परगना व तहसील लोनी गाजियाबाद, वी0पी0सी0एल0 गैस फिलिंग प्लांट के सामने स्थित है। राजस्व रिकार्ड के अनुसार खसरा संख्या-606 टीला शाहबाजपुर परगना व तहसील लोनी का 1.2030 है0 क्षेत्रफल श्री नितिन कोचर पुत्र श्री राजकुमार कौचर, निदेशक, पृथ्वी लिंक डेवलपर प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर दर्ज है जिसका पंजीकृत कार्यालय 879/7 ए प्रथम तल, क्वींस रोड मुखर्जी नगर, दिल्ली है। यू0पी0 रियल एस्टेट अथोरिटी (रैरा) ने पत्र दिनांक 29-11-2023 के माध्यम से पृथ्वी लिंक डेवलपर प्राइवेट लिमिटेड को परियोजना के प्रमाण पत्र का पंजीकरण जारी किया है, जिसका पंजीकृत कार्यालय/मुख्य व्यवसाय स्थान खसरा नम्बर 606, टीला शाहबाजपुर परगना व तहसील लोनी जो दिनांक 29-11-2023 से प्रारम्भ होकर 27-8-2027 को समाप्त होने वाली 04 वर्ष की अवधि के लिए वैध है। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण गाजियाबाद द्वारा दिनांक 26-6-2023 को भवन योजना की मंजूरी प्रदान की गयी है। स्वीकृत भवन योजना की प्रति संलग्न है।

उपजिलाधिकारी लोनी की आख्या संलग्नको सहित संलग्न कर प्रेषित की जा रही है। इसके अतिरिक्त विन्दु संख्या-01 के सम्बन्ध में उपजिलाधिकारी सदर द्वारा आख्या दिनांक 08-05-2024 में अवगत कराया गया है कि वर्तमान में भूमि की श्रेणी/प्रकृति को लेकर मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में वाद विचाराधीन है तथा स्थगन आदेश पारित किया गया है जिस कारण प्रकरण में अग्रेतर कार्यवाही किया जाना सम्भव नहीं हो पा रहा है।

उपजिलाधिकारी सदर द्वारा उपलब्ध करायी गयी आख्या संलग्नको सहित संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

संलग्न :- यथोपरि।

भवनीय,

जिलाधिकारी,
गाजियाबाद

कार्यालय उप जिलाधिकारी लोनी जनपद गाजियाबाद।

पत्र संख्या ५०७९/एसटी-एसडीएम-लोनी/2024

दिनांक: ०५ मई 2024

सेवा में,

जिलाधिकारी,
गाजियाबाद।

विषय: सोसायटी फॉर वॉयस ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड जस्टिस एंड अन्य बनाम महालक्ष्मी लैंड एंड फाइनैस कंपनी एंड ए0एन0आर0, ओए नंबर 737/2023 (आई0ए0 नंबर 68/2024) में दिनांक 01.03.2024 को माननीय एनजीटी द्वारा पारित आदेश के अनुपालन के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक श्री वरीन्द्र कुमार अधिवक्ता ऑन रिकार्ड, चैम्बर नं0 13 ओल्ड लायर्स चैम्बर ब्लॉक मा0 सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली के ई-मेल दिनांक 19 अप्रैल 2024 पर अपने पृष्ठांकन आदेश संख्या: 837/एसटी दिनांक 19.04.2024 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करे, जो मा0 एन0जी0टी0 नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या 737/2023 (आई0ए0 नंबर 68/2024) सोसायटी फॉर वॉयस ऑफ ह्यूमन राइट्स एवं जस्टिस एवं अन्य बनाम महालक्ष्मी लैंड एवं फाइनैस कंपनी एंड ए0एन0आर0 में पारित आदेश दिनांक 01.03.2024 का अनुपालन कराये जाने विषयक है।

उक्त क्रम में सादर अवगत कराना है कि अधोहस्ताक्षरी द्वारा तहसीलदार लोनी एवं प्रदूषण विभाग से संयुक्त रूप से जांच कराते हुए आख्या प्राप्त की गयी। जिनके द्वारा निम्नवत् आख्या प्रस्तुत करते हुए अवगत कराया है कि आवेदक द्वारा मा0 एन0जी0टी0 के समक्ष आवेदन दायर करते हुए निम्नांकित शिकायते दर्ज की गयी है-

(ए) शिकायत है कि सर्वे नं0 2476 और 1564, जिसमें राजस्व रिकार्ड के अनुसार 0.961 वर्ग गज का क्षेत्र शामिल है, एक झील (झील) है, लेकिन उस झील क्षेत्र पर, महालक्ष्मी लैंड एंड फाइनैस कंपनी, शालीमार पासोडा, गाजियाबाद द्वारा अनियमितताओं के साथ आवासीय निर्माण किया जा रहा है।

(बी) इसके अलावा, एक और शिकायत यह है कि गाटा/आराजी संख्या 606 के रूप में पहचानी गई कृषि भूमि स्थित ग्राम टीला शाहबाजपुर, तहसील लोनी, गाजियाबाद में पृथ्वी लिंक और डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक नितिन कोचर और अन्य द्वारा अनाधिकृत निर्माण गतिविधियां संचालित की गईं।

प्रश्नगत प्रकरण में माननीय एन0जी0टी0 द्वारा दिनांक 01.03.2024 को निम्नवत् आदेश पारित किये गये हैं-

“.....4. Respondent no. 3, District Magistrate, Ghaziabad is direct to ascertain the correct position relating to nature of the land and also the extent of construction, if any, made on the land of the lake and submit the report at least one week before the next date of hearing by e-mail at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/ OCR Support PDF and not in the form of Image PDF.....”

मा0 एन0जी0टी0 नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 01.03.2024 के अनुपालन के क्रम में सादर अवगत कराना सर्वे संख्या 2476 एवं 1564 तहसील सदर गाजियाबाद से संबंधित है, जिसमें कार्यवाही तहसील सदर गाजियाबाद से अपेक्षित है। गाटा/आराजी संख्या 606 ग्राम टीला शाहबाजपुर का मा0 एन0जी0टी0 द्वारा पारित आदेश के अनुपालन के क्रम में मौके का स्थलीय निरीक्षण दिनांक 04.05.2024 को किया गया जिससे निम्नवत् तथ्य पाये गये हैं।

प्रश्नगत स्थल गाटा/आराजी संख्या 606 स्थित ग्राम टीला शहबाजपुर, परगना व तहसील लोनी गाजियाबाद, बी०पी०सी०एल० गैस फिलिंग प्लांट के सामने स्थित है। राजस्व रिकार्ड के अनुसार खसरा नं० 606 टीला शहबाजपुर, परगना व तहसील लोनी गाजियाबाद का 1.2030 हेक्टेयर क्षेत्रफल श्री नितिन कोचर पुत्र श्री राजकुमार कोचर, निदेशक, पृथ्वी लिंक डेवलपर प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर दर्ज है, जिसका पंजीकृत कार्यालय 879/7ए प्रथम तल, क्वींस रोड मुखर्जी नगर, दिल्ली है। दिनांक 04.05.2024 की खतौनी की संलग्न है।

यू०पी० रियल एस्टेट अथॉरिटी (रैरा) ने पत्र दिनांक 29.11.2023 के माध्यम से पृथ्वी लिंक डेवलपर प्राइवेट लिमिटेड को परियोजना के प्रमाण पत्र का पंजीकरण जारी किया है, जिसका पंजीकृत कार्यालय/मुख्य व्यवसाय स्थान खसरा नंबर 606 टीला शाहबाजपुर, परगना व तहसील लोनी, जिला गाजियाबाद जो 29.11.2023 से प्रारंभ होकर 27.08.2027 को समाप्त होने वाली 04 वर्ष की अवधि के लिए वैध है। परियोजना के प्रमाणपत्र के पंजीकरण की प्रति संलग्न है।

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, गाजियाबाद द्वारा दिनांक 26.06.2023 को भवन योजना को मंजूरी प्रदान की गयी है। स्वीकृत भवन योजना की प्रति संलग्न है।

निरीक्षण के दौरान पृथ्वी लिंक डेवलपर प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक श्री नितिन कोचर साइट पर मौजूद थे, जिनके द्वारा अवगत कराया गया कि 67 आवासीय भूखंडों और 02 वाणिज्यिक दुकानों का विकास प्रस्तावित है।- योजना में 50 के०एल०डी० क्षमता के एस०टी०पी० एवं 03 नग रेन वाटर हार्वैस्टिंग सिस्टम (आर०डब्ल्यू०एच०) तथा वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की स्थापना का प्रावधान किये जाने की भी सूचना दी गयी।

आख्या सादर सेवा में प्रेषित है।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।


(निखिल चक्रवर्ती)
उपनिर्वाहिकारी
लोनी।

सोसायटी फॉर वॉयस ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड जस्टिस एंड अन्य बनाम महालक्ष्मी लैंड एंड फाइनेंस कंपनी एंड ए0एन0आर0, ओए नंबर 737/2023 (आई0ए0 नम्बर 68/2024) में दिनांक 01.03.2024 को माननीय एनजीटी द्वारा पारित आदेश के अनुपालन के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अवगत कराना है कि आवेदक द्वारा मा0 एन0जी0टी0 के समक्ष आवेदन दायर करते हुए निम्नांकित शिकायत दर्ज की गयी है-

(ए) शिकायत है कि सर्वे नं0 2476 और 1564, जिसमें राजस्व रिकार्ड के अनुसार 0.961 वर्ग गज का क्षेत्र शामिल है, एक झील (झील) है, लेकिन उस झील क्षेत्र पर, महालक्ष्मी लैंड एंड फाइनेंस कंपनी, शालीमार पासोडा, गाजियाबाद द्वारा अनियमितताओं के साथ आवासीय निर्माण किया जा रहा है।

(बी) इसके अलावा, एक और शिकायत यह है कि गाटा/आराजी संख्या 606 के रूप में पहचानी गई कृषि भूमि स्थित ग्राम टीला शाहबाजपुर, तहसील लोनी, गाजियाबाद में पृथ्वी लिंक और डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक नितिन कोचर और अन्य द्वारा अनाधिकृत निर्माण गतिविधियां संचालित की गईं।

प्रश्नगत प्रकरण में माननीय एन0जी0टी0 द्वारा दिनांक 01.03.2024 को निम्नवत् आदेश पारित किये गये हैं-

“.....4. Respondent no. 3, District Magistrate, Ghaziabad is direct to ascertain the correct position relating to nature of the land and also the extent of construction, if any, made on the land of the lake and submit the report at least one week before the next date of hearing by e-mail at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/ OCR Support PDF and not in the form of Image PDF.....”

मा0 एन0जी0टी0 नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 01.03.2024 के अनुपालन के क्रम में सादर अवगत कराना सर्वे संख्या 2476 एवं 1564 तहसील सदर गाजियाबाद से संबंधित है, जिसमें कार्यवाही तहसील सदर गाजियाबाद से अपेक्षित है। गाटा/आराजी संख्या 606 ग्राम टीला शाहबाजपुर का मा0 एन0जी0टी0 द्वारा पारित आदेश के अनुपालन के क्रम में मौके का स्थलीय निरीक्षण दिनांक 04.05.2024 को किया गया जिससे निम्नवत् तथ्य पाये गये हैं।

प्रश्नगत स्थल गाटा/आराजी संख्या 606 स्थित ग्राम टीला शाहबाजपुर, परगना व तहसील लोनी गाजियाबाद, बी0पी0सी0एल0 गैस फिलिंग प्लांट के सामने स्थित है। राजस्व रिकार्ड के अनुसार खसरा नं0 606 टीला शाहबाजपुर, परगना व तहसील लोनी गाजियाबाद का 1.2030 हेक्टेयर क्षेत्रफल श्री नितिन कोचर पुत्र श्री राजकुमार कोचर, निदेशक, पृथ्वी लिंक डेवलपर प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर दर्ज है, जिसका पंजीकृत कार्यालय 879/1ए प्रथम तल, क्वींस रोड मुखर्जी नगर, दिल्ली है। दिनांक 04.05.2024 की खतौनी की संलग्न है।

यू0पी0 रियल एस्टेट अथॉरिटी (रिरा) ने पत्र दिनांक 29.11.2023 के माध्यम से पृथ्वी लिंक डेवलपर प्राइवेट लिमिटेड को परियोजना के प्रमाण पत्र का पंजीकरण जारी किया है, जिसका पंजीकृत कार्यालय/मुख्य व्यवसाय स्थान खसरा नंबर 606 टीला शाहबाजपुर, परगना व तहसील लोनी, जिला गाजियाबाद जो 29.11.2023 से प्रारंभ होकर 27.08.2027 को समाप्त होने वाली 04 वर्ष की अवधि के लिए वैध है। परियोजना के प्रमाणपत्र के पंजीकरण की प्रति संलग्न है।

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, गाजियाबाद द्वारा दिनांक 26.06.2023 को भवन योजना को मंजूरी प्रदान की गयी है। स्वीकृत भवन योजना की प्रति संलग्न है।

निरीक्षण के दौरान पृथ्वी लिंक डेवलपर प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक श्री नितिन कोचर साइट पर मौजूद थे, जिनके द्वारा अवगत कराया गया कि 67 आवासीय भूखंडों और 02 वाणिज्यिक दुकानों का विकास प्रस्तावित है। योजना में 50 क्रे0एल0डी0 क्षमता के एस0टी0पी0 एवं 03 नग रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम (आर0डब्ल्यू0एच0) तथा वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की स्थापना का प्रावधान किये जाने की भी सूचना दी गयी।

आख्या सादर सेवा में प्रेषित है।

Kantosh
(कुंवर संतोष कुमार) 06/05/24
सहायक पर्यावरण अभियन्ता
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
गाजियाबाद

06-05-2024

R.I.

Rptg
6/5/2024
गाजब तहसीलदार
लोनी गाजबाद

06/05/2024
Teh. Lec.

Inspection report in compliance to Hon'ble NGT order passed on 01.03.2024 in the matter of Society for Voice of Human Rights and Justice & Anr. Vs Mahalaxmi Land and Finance Company & Ors. in OA no. 737/2023 (IA NO. 68/2024).

1. **Background:-**The applicant has filed application before Hon'ble NGT and grievances made in application are as follows:-

(a) Grievance that survey no. 2476 and 1564 comprising an area of 0.961 sq yard as per revenue record is a Lake (jheel) but on that lake area, residential construction is being raised by Mahalaxmi Land and Finance Company, Shalimar pasonda, Ghaziabad involving irregularities.

(b) Further, another grievance is that on agricultural land identified as gata/araji no. 606 Tila shahbazpur, Tehsil Loni, Ghaziabad the unauthorized construction activities conducted by the Director of prithvee link and Developers Pvt Ltd namely Nitin kocher and others.

2. **Order of Hon'ble NGT:-** Hon'ble NGT vide order dated 01.03.2024 in the matter of Society for Voice of Human Rights and Justice & Anr.vs Mahalaxmi Land and Finance Company & Ors. in OA no. 737/2023 (IA NO. 68/2024) had directed following:-

“.....4. Respondent no. 3, District Magistrate, Ghaziabad is direct to ascertain the correct position relating to nature of the land and also the extent of construction, if any, made on the land of the lake and submit the report at least one week before the next date of hearing by e-mail at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/ OCR Support PDF and not in the form of Image PDF.....”

3. **Compliance:-**

In compliance to aforesaid direction, inspection of site was carried out onand facts are as follows:-

(a) Status of site located at gata/araji no. 606 Tilashahbazpur, Tehsil Loni, Ghaziabad:-

- (i) Site located at gata/araji no. 606 Tilashahbazpur, Tehsil Loni, Ghaziabad is situated opposite BPCL Gas Filling Plant. As per revenue record khasra no. 606 Tilashahbazpur, Tehsil Loni, Ghaziabad is having an area of 1.2030 hectares in the name of Shri Nitin koche s/o Shri Rajkumarkocher director of Prithvee link Developer Pvt Ltd having its registered office 879/7A first floor, Queens Road MukherjeeNagar, Delhi. The copy of khatuani dated 04.05.2024 is attached here with as **Annexure-I**.
- (ii) U.P. Real Estate Authority (RERA) has issued the registration of certificate of project vide letter dated 29.11.2023 to Prithvee link Developer Pvt Ltd having its registered office/principal place of business at khasra no. 606 Tilashahbazpur, Tehsil Loni, District Ghaziabad which is vaild for a period of 04 years commencing from 29.11.2023 and ending its 27.08.2027. The copy of registration of certificate of project is attached as **Annexure-II**.
- (iii) Ghaziabad Development Authority, Ghaziabad has approved building plan on 26.06.2023. The copy of sanctioned building plan is attached as **Annexure-III**.
- (iv) During visit Shri Nitin Kocher director of Prithvee link Developer Pvt Ltd was present at site and it was reported that development of 67 Nos residential plots and 02 Nos commercial shops are proposed. It was also reported to be made provision for installation of 50 kld capacity STP and 03 Nos Rain Water Harvesting System (RWH) in the plan.
- (v) During visit work of filling earth and levelling at site was found observed.
- (vi) During visit no record regarding conversion was provided by project proponent and its was reported to be conversion of land under process.

(vii) Photographs taken during visit:-

(vii) Photographs taken during visit:-

वसुदेव शर्मा 05/05/24
(कुंवर संतोष कुमार)
सहायक पर्यावरण अभियन्ता
उत्प्रा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
गाजियाबाद

FORM C

[See rule 6(1)]

REGISTRATION CERTIFICATE OF PROJECT

This registration is granted under section 5 of the Act to the following project under project registration number **UPRERAPRJ828031**

Project Name : CIVIL LINES

Project Address : Tehshil - Ghaziabad, District - Ghaziabad

1. PRITHVEELINK DEVELOPERS PVT. LTD. firm / society / company / competent authority having its registered office / principal place of business at KHASRA NO. 606, TILA SHAHBAZPUR (OPP. BPCL GAS FILLING PLANT), GHAZIABAD-201102 (U.P.).

2. This registration is granted subject to the following conditions, namely:-

- (i) The Promoter shall enter into an agreement for sale with the allottees in the form to be prescribed separately;
- (ii) The promoter shall execute and register a conveyance deed in favour of the allottee or the association of the allottees, as the case may be, of the apartment or the common areas as per section 17;
- (iii) The promoter shall deposit seventy percent of the amounts realised by the promoter in a separate account to be maintained in a schedule bank to cover the cost of construction and the land cost to be used only for the purpose as per sub clause (D) of clause (1) of sub-section (2) of section 4;
- (iv) The registration shall be valid for a period of 4 years commencing from 29-11-2023 and ending with 27-08-2027 unless renewed by the Real Estate Regulatory Authority in accordance with section 6 read with rule 7 of the Act;
- (v) The promoter shall comply with the provisions of the Act and the rules and regulations made thereunder;
- (vi) The promoter shall not contravene the provisions of any other law for the time being in force in the area where the project is being developed;

3. If the above mentioned conditions are not fulfilled by the promoter, the regulatory authority may take necessary action against the promoter including revoking the registration granted herein, as per the Act and the rules and regulations made thereunder.

Date: 29-11-2023

Place: Lucknow

Secretary/Authorized Officer, U.P. Real Estate Regulatory Authority






Dr. V. S. Rao
(ASST) *VR*



AL
—
AF

फ़ैब्रिक
(AFB)



Ac
R.S.
Zaulosh
(AEE)



BHULEKH
Uttar Pradesh

उद्धरण खतौनी (अप्रमाणित प्रति)

04/May/2024 14:41:17

ग्राम क्रमांक : 119696 ग्राम का नाम (परगना) : टीला शहजाबाद (तेनी)

तहसील : तेनी

जनपद : गाजियाबाद

फसली वर्ष : 1429-1434 (01 जुलाई, 2021 से 30 जून, 2027)

भाग : 1

(1) खाल संख्या : 00490

श्रेणी : 1-क / भूमि जो संक्रमणीय भूमिपट्टे के अधिकार में हो।

खसत/गाटा संख्या	(2) नाम/पिता-पति-संरक्षक-प्रबंधक का नाम / जॉबि कोड / आधार नं0 (अन्तिम चार अंक) अथवा पैन नं0 (6-9 स्थान के अंक) / पता / जन्मतिथि (अवश्यक है)	(3) न्यायालय का नाम / कम्प्यूटीकृत चार्ज संख्या अथवा अदेश संख्या / अदेश का दिनांक / जोरा का आधार	(4) वर्ष	(5) गाटा (यूनीक कोड)	(6) गाटे का कुल क्षेत्रफल (हे.)	(7) हिस्से में	खतौरी का अंश		
							(8) क्षेत्रफल (हे.)	(9) खतौरी द्वारा देय भूदाजब	
606	श्री. पृथ्वी लाल डबलपर्स प्र. लि. / 879/7/AYएम लाल, कबीरस रोड, एम. पी. मुखर्जी मार्ग / दिल्ली द्वारा डायरेक्टर निम्निल कोचर पुर राजकुमार कोचर सि. उक्त फर्म			606(119696060000012)	1.2330			40.00	
कुल गाटे- एक कुल क्षेत्रफल- एक दशमलव दो शतक तीन शतक (हेक्टर) कुल भूदाजब - चार शतक दशमलव शतक शतक रुपये									
नामानरथ / परिवर्तन का विवरण					दरज किया गया				
(10) न्यायालय का नाम / कम्प्यूटीकृत चार्ज संख्या अथवा अदेश संख्या / अदेश का दिनांक / नामानरथ का आधार / डिजिटल रकबावर नाम (परगना) / डिजिटल रकबावर दिनांक	(11) नाम/पिता-पति-संरक्षक-प्रबंधक का नाम / जॉबि कोड / आधार नं0 (अन्तिम चार अंक) अथवा पैन नं0 (6-9 स्थान के अंक) / पता / जन्मतिथि (अवश्यक है)	(12) गाटे का खसत / नंबर / यूनीक कोड	(13) क्षेत्रफल (हे.)	(14) नाम/पिता-पति-संरक्षक-प्रबंधक का नाम / जॉबि कोड / आधार नं0 (अन्तिम चार अंक) अथवा पैन नं0 (6-9 स्थान के अंक) / पता / जन्मतिथि (अवश्यक है)	(15) गाटे का खसत नंबर / यूनीक कोड	(16) क्षेत्रफल (हे.)			
(17) भूमि के सम्बन्ध में विचारार्थन राजस्व चार्ज की कम्प्यूटीकृत संख्या :									

उद्घरण खतौनी (अप्रमाणित प्रति)

04/May/2024 14:41:17

ग्राम क्रमांक : 119696

ग्राम का नाम (परामा) : टीला शहबाजपुर (तेनी)

तहसील : तेनी

जनपद : गाबियाबाद

फरती बॉफ : 1429-1434 (01 जनव, 2021 से 30 द, 2027)

पाना : 1

(1) खता संख्या : 00490

(18) बंधक/बंधक-मुक्त होने की स्थिति

(18.1) बंधक होने की स्थिति (संस्था अथवा बैंक का नाम/कोड/बंधक का दिनांक/पनाशि/अवेदन संख्या/खतौनी(पिता-पति-संस्था)):

(18.2) बंधक-मुक्त होने की स्थिति (संस्था अथवा बैंक का नाम/कोड/बंधक-मुक्त का दिनांक/पनाशि/अवेदन संख्या/खतौनी(पिता-पति-संस्था)):

(19) अन्यक्ति :

पूर्व आदेशों का विवरण

कृपया उक्त खतौनी की प्रस्थिति (पुखंड (गाउ) के बाद प्रदा विवरण /पि-नबना/नामांकन वकी) हेतु खतौनी संख्या पर क्लिक करें

Disclaimer: उक्त ऑनलाइन मात अडलिननापु है, उक्त विवरण अग्रन है, तदुपल अनुपदर केनु पवन सी.एस.सी/लोकवणी केनु से उद्यान की प्रमाणित प्रति पुन की जा सकती है।
Above content is for information. The information provided online is updated and no physical visit is required. For Certified copy, apply through e-district portal/CSC/Tehsil Computer Centre.

Software Powered By: National Informatics Center, Uttar Pradesh State Unit, Lucknow.





कार्यालय उप जिला मजिस्ट्रेट गाजियाबाद।
OFFICE OF THE SUB-DIVISIONAL MAGISTRATE GHAZIABAD

पत्रांक: 4085/एस0टी0-एस0डी0एम0/2024

दिनांक: 08-05-2024

क्षेत्रीय अधिकारी,
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
गाजियाबाद।

विषय:-मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 संख्या:-737/2023 (आई0ए0-68/2024) Society for Voice of Human Rights and Justice & Anr- Versus Mahalaxmi Land and Finance Company & Ors- में पारित आदेश दिनांक 01.03.2024 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

कृपया अपने कार्यालय पत्र संख्या:-14/एन0जी0टी0-213/2024 दिनांक 03.04.2024, का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके अन्तर्गत मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 संख्या 737/2023 (आई0ए0-68/2024) Society for Voice of Human Rights and Justice & Anr- Versus Mahalaxmi Land and Finance Company & Ors- में पारित आदेश दिनांक 01.03.2024 के अनुपालन में नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करते हुये आख्या उपलब्ध कराये जाने हेतु पत्र प्रेषित किया गया है।

उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि प्रकरण की जाँच तहसीलदार सदर गाजियाबाद से करायी गयी। तहसीलदार सदर गाजियाबाद के द्वारा प्रकरण की जाँच कराकर प्रकरण में नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करते हुये अपने कार्यालय पत्र संख्या:-658/आर0सी0-24 दिनांक 08.05.2024 के द्वारा प्रकरण की जाँच आख्या उपलब्ध करायी गयी है जिसमें उल्लिखित किया गया है कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 संख्या 737/2023 (आई0ए0-68/2024) Society for Voice of Human Rights and Justice & Anr- Versus Mahalaxmi Land and Finance Company & Ors- में पारित आदेश दिनांक 01.03.2024 के क्रम में दिनांक 03.05.2024 को स्थलीय व अभिलेखीय निरीक्षण किया गया जिसकी जाँच आख्या निम्नवत है:-

- 1- खसरा संख्या 1564 क्षेत्रफल 0.961 है0 ग्राम पसौंडा परगना लोनी तहसील व जिला गाजियाबाद की वर्तमान खतौनी फसली वर्ष 1430-1435 के खाता संख्या 3623 पर झील के नाम अंकित है। प्रश्नगत खसरा नं0 की भूमि पर लगभग 40 वर्षों से सघन आवादी बनी हुयी है जिसमें लगभग 80 मकान पूर्व से बने हुये हैं। मौके का फोटो, खतौनी व सुपरइम्पोज नक्शे की छायाप्रति संलग्नक 1 है।
- 2- खसरा संख्या 2476 क्षेत्रफल 0.0760 है0 ग्राम पसौंडा परगना लोनी तहसील व जिला गाजियाबाद की वर्तमान खतौनी फसली वर्ष 1430-1435 के खाता संख्या 3647 पर हिण्डन एयर फिल्ड (भारतीय वायुसेना) के नाम अंकित है तथा मौके पर भी उक्त खसरा नं0 की भूमि भारतीय वायुसेना की बाउण्ड्री के अन्दर है। उक्त भूमि तालाब/झील की भूमि नहीं रही है। उपरोक्त के अतिरिक्त यह भी अवगत कराना है कि प्रश्नगत प्रकरण के खसरा नं0 1564 के खाता संख्या 3623 खतौनी फसली वर्ष 1430-1435 पर अंकित मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्या 11754/2002 गाजियाबाद नगर निगम बनाम बोर्ड ऑफ रिवेन्यू आदि में दिनांक 18.03.2002 को निम्नवत आदेश पारित किया गया है:-


In the court of judicature at allahabad civil side appellate/original jurisdiction dated allahabad the 18.3.2002 present the honorable mr Justice Yatindra singh and honorable mr Justice write writ no. 11754 of 2002) order on the application of (order on petition) district Ghaziabad nagar nigam ghaziabad versus no-1 The board of Revenue u p ccamp meerut district meerut no.-2 state of u p through collector sist ghaziabad no.3 Additional commissioner/administration meerut division disst meerut ashaf ali road new delhi through its managing directior Issue notice Notice on behalf of 1, 2, 3 have been accepted by standing counsel issue notice to service for respondents no 4 Till further order of the court or operation of the order dated 28.11.2001 remation Stayed s d yatinder singh. 18-3-2002

उक्त आदेश के अनुसार वर्तमान में भूमि की श्रेणी/प्रकृति को लेकर मा० उच्च न्यायालय में वाद विचाराधीन है तथा स्टे आदेश पारित किया गया है जिस कारण प्रकरण में अग्रेतर कार्यवाही किया जाना सम्भव नहीं हो पा रहा है। प्रकरण की विस्तृत/गहनता से जाँच हेतु मा० न्यायालय से रिट याचिका की प्रति प्राप्त किये जाने हेतु नायब तहसीलदार श्री सौरभ सिंह को भेजा गया है। रिट की प्रति प्राप्त होने पर ही विस्तृत आख्या दाखिल किया जा सकता है। इसलिए प्रश्नगत प्रकरण में मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के अधिवक्ता से प्रकरण में आख्या दाखिल किये जाने हेतु अन्य तिथि प्रदान किये जाने हेतु अनुरोध किया गया है।

अतएव कृपया प्रश्नगत प्रकरण में मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के अधिवक्ता से प्रकरण में आख्या दाखिल किये जाने हेतु अन्य तिथि प्रदान किये जाने हेतु अनुरोध करने का कष्ट करें।
संलग्नक:—यथोपरि।

(अरूण दीक्षित)
उप जिलामजिस्ट्रेट,
गाजियाबाद।

प्रतिलिपि:—जिलाधिकारी महोदय गाजियाबाद को सादर अवलोकनार्थ।


उप जिलामजिस्ट्रेट,
गाजियाबाद।

महोदय,

कृपया क्षेत्रीय कार्यालय उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड गाजियाबाद के कार्यालय पत्र संख्या:-14/एन०जी०टी०-213/2024 दिनांक 03.04.2024, का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके अन्तर्गत मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ०ए० संख्या 737/2023 (आई०ए०-68/2024) Society for Voice of Human Rights and Justice & Anr- Versus Mahalaxmi Land and Finance Company & Ors- में पारित आदेश दिनांक 01.03.2024 के अनुपालन में नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करते हुये आख्या उपलब्ध कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ०ए० संख्या 737/2023 (आई०ए०-68/2024) Society for Voice of Human Rights and Justice & Anr- Versus Mahalaxmi Land and Finance Company & Ors- में पारित आदेश दिनांक 01.03.2024 के क्रम में दिनांक 03.05.2024 को स्थलीय व अभिलेखीय निरीक्षण किया गया जिसकी जाँच आख्या निम्नवत है:-

- 1- खसरा संख्या 1564 क्षेत्रफल 0.961 है० ग्राम पसौंड़ा परगना लोनी तहसील व जिला गाजियाबाद की वर्तमान खतौनी फसली वर्ष 1430-1435 के खाता संख्या 3623 पर झील के नाम अंकित है। प्रश्नगत खसरा नं० की भूमि पर लगभग 40 वर्षों से सघन आबादी बनी हुयी है जिसमें लगभग 80 मकान पूर्व से बने हुये हैं। मौके का फोटो, खतौनी व सुपरइम्पोज नक्शे की छायाप्रति संलग्नक 1 है।
- 2- खसरा संख्या 2476 क्षेत्रफल 0.0760 है० ग्राम पसौंड़ा परगना लोनी तहसील व जिला गाजियाबाद की वर्तमान खतौनी फसली वर्ष 1430-1435 के खाता संख्या 3647 पर हिण्डन एयर फिल्ड (भारतीय वायुसेना) के नाम अंकित है तथा मौके पर भी उक्त खसरा नं० की भूमि भारतीय वायुसेना की वाउण्ड्री के अन्दर है। उक्त भूमि तालाब/झील की भूमि नहीं रही है।

उपरोक्त के अतिरिक्त यह भी अवगत कराना है कि प्रश्नगत प्रकरण के खसरा नं० 1564 के खाता संख्या 3623 खतौनी फसली वर्ष 1430-1435 पर अंकित मा० उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्या 11754/2002 गाजियाबाद नगर निगम बनाम बोर्ड ऑफ रिवेन्यू आदि में दिनांक 18.03.2002 को निम्नवत आदेश पारित किया गया है:-


In the court of judicature at allahabad civil side appellate/original jurisdiction dated allahabad the 18.3.2002 present the honorable mr Justice Yatindra singh and honorable mr Justice write writ no. 11754 of 2002) order on the application of (order on petition) district Ghaziabad nagar nigam ghaziabad versus no-1 The board of Revenue u p ccamp meerut district meerut no-2 state of u p through collector sisst ghaziabad no.3 Additional commissioner/administration meerut division disst meerut ashaf ali road new delhi through its managing director Issue notice Notice on behalf of 1, 2, 3 have been accepted by standing counsel issue notice to service for respondents no 4 Till further order of the court or operation of the order dated 28.11.2001 remation Stayed s d yatinder singh. 18-3-2002

उक्त आदेश के अनुसार वर्तमान में भूमि की श्रेणी/प्रकृति को लेकर मा० उच्च न्यायालय में वाद विचाराधीन है तथा स्टे आदेश पारित किया गया है जिस कारण प्रकरण में अग्रेतर कार्यवाही किया जाना सम्भव नहीं हो पा रहा है। प्रकरण की विस्तृत/गहनता से जाँच हेतु मा० न्यायालय से रिट याचिका की प्रति प्राप्त किये जाने हेतु नायब तहसीलदार श्री सौरभ सिंह को भेजा गया है। रिट की प्रति प्राप्त होने पर ही विस्तृत आख्या दाखिल किया जा सकता है।

अतएव कृपया प्रश्नगत प्रकरण में मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के अधिवक्ता से प्रकरण में आख्या दाखिल किये जाने हेतु अन्य तिथि प्रदान किये जाने हेतु अनुरोध करने का कष्ट करें।

उपरोक्तानुसार आख्या महोदय की सेवा में सादर प्रेषित है।


मनोज कुमार
लेखपाल


रिशु
05.05.24
तहसीलदार
गाजियाबाद



BHULEKH
Uttar Pradesh

Hindi

उद्घरण खतौनी (अप्रमाणित प्रति)

08/May/2024 10:33:00

ग्राम क्रमांक : 217025

ग्राम का नाम (परगना) : पसौन्डा (लोनी)

तहसील : गाजियाबाद

जनपद : गाजियाबाद

फसली वर्ष : 1430-1435 (01 जुलाई, 2022 से 30 जून, 2028)

पाना : 1

(1) खतौ संख्या : 03623

श्रेणी : 6-2 / अकृषिक भूमि - स्थल, सड़के, रेलवे, भवन और ऐसी दूसरी भूमियां जो अकृषिक उपयोगों के काम में लायी जाती थी।

खतौदार का विवरण		खतौदारी प्रारम्भ होने का विवरण		भूमि का विवरण		खतौदार का अंका					
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)				
नाम/पिता-पति-संरक्षक-प्रबंधक का नाम / जाति कोड / आधार नं० (अन्तिम चार अंका) अथवा पैन नं० (6-9 स्थान के अंका) / पता / जन्मतिथि (अवयस्क हेतु)	न्यायालय का नाम / कम्प्यूटरीकृत वार संख्या अथवा आदेश संख्या / आदेश का दिनांक / जात का अर्थपर	वर्ष	गाटा (स्थीक कोड)	गाटे का कुल क्षेत्रफल(हे॰)	हिस्से में	क्षेत्रफल (हे॰)	खतौदार द्वारा देय भू-राजस्व :				
1564	अबादी कालोनी महालक्ष्मी टैण्ड एण्ड // फाइनेन्स कम्पनी //		1564(2170251564000062)	0.9610			0.00				
कुल गाटे- एक कुल क्षेत्रफल- शून्य दशमलव नौ छः एक शून्य (हिस्टोरिक)		कुल भू-राजस्व - शून्य दशमलव शून्य शून्य सार्वे		दुर्ग किया गया		दुर्ग किया गया					
नामांतरण / परिवर्तन का विवरण		खतौज किया गया		दुर्ग किया गया		दुर्ग किया गया					
(10)	न्यायालय का नाम / कम्प्यूटरीकृत	(11)	नाम/पिता-पति-संरक्षक-गाटे का खसरा नम्बर / स्थीक कोड	(12)	क्षेत्रफल(हे॰)	(13)	नाम/पिता-पति-संरक्षक-प्रबंधक का नाम / जाति कोड	(14)	गाटे का खसरा नम्बर / स्थीक कोड	(15)	क्षेत्रफल(हे॰)

उद्घरण खतौनी (अप्रमाणित प्रति)

08/May/2024 10:33:00

ग्राम क्रमांक : 217025

ग्राम का नाम (परगना) : पतौड़ा (तोनी)

तल्लित : गावियाबाद

बनपर : गावियाबाद

फसली वर्ष : 1430-1435 (01 जुलाई, 2022 से 30 नव, 2028)

पाना : 1

पूर्व अदरौती का विवरण

(1) खता संख्या : 03623

- 1) 1392रु.अदेशासुतर परगनाधिकारी मरौ.वार स. 17/84-85सुतर बराम महलरसी लैड एड फाईनेस कामपी मे अदेश हुआ कि भूमि के खता स.822मे सल 1390रु.से 1395रु.वर्मान खता स.2476मे महलरसी लैड का.रु.का नाम खारिब करके केवल अजादी दर्ज होवे स0ने0अ0-10-4-85
- 2) 1 Accordingly allow the writ petition quass the order dated 29.8.96passed by the bord of revenue in reference no0409 (L.R.)84-85
- 3) खारिब करके केवल अजादी दर्ज होवे स. 10.4.85
- 4) निरारानी मिलारण तक अर न्यायालय के अदेश का क्रियान्वन व अनलदापर स्थीत किया जाला है। ह.ले. 10.4.85
- 5) न्यायालय अर अयुक्त मेरठ मजल मेरठ ओरिफिक अयुक्त मरौ.की अजा की प्रति जो कारबारी स्थीत हई हा।निरारानी स.21/84-85याता 33/39 ग्राम पसौंटा पर.लौनी त.गा. महलरसी लैड एड का.रु.बनम दू.पी.रेंड अदि कोकि
- 6) श्री एच.के.विवेदी पर. अधिकारी की दि. 23.5.85की अजा के निरु वार स.16/84-85 याता 33/39एच.आर. एरट सुकार बराम महलरसी लैड का.रु.मे हसी है।अदेश निरारानी करत के निरुड बरौती को सुन
- 7) 1404रु.अदेशासुतर श्रीमान त.मरौ.गा.बाद विविध प्रार्थना पर स.2/96पर दि.28.10.96को अदेश हुआ कि माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद बैच लखनऊ मे दायर रिट याचिका स.1993(ए.स.) बर्न 1996मे महलरसी लैड एड का.रु.
- 8) प्र.लि.बनम बोर्ड अर.रेलुड लखनऊ तथा अन्य मे पारित निर अदेश दि.30.9.96 का खतौनी 1390ता.1395रु.के खता स.822व वर्मान खता स.2476पर याचन अनलदापर किया जान
- 9) and the S.D.O.Ghazialabad dated 23.3.85 The entry shall be maintained. The S.D.O. Ghazialbad may decide the case of corraction under section 33/39U.P.land revenue act in the light observations mode above
- 10) about the scope of section 33of U.P.land revenue act and thau he shall give appor- tunity of hearing to the petitioner no costle . S.D.B.K.sing honible(U) 30.9.96
- 11) 1407रु.न्यायालय परगनाधिकारी/सर.कलेक्टर प्रथम श्रेणी गा.बाद वार स.4/98-99याता 33/39 एच.आर.एरट ग्राम पसौंटा प.लौनी त.व.वि.गा.बाद सुकार बराम मे.महलरसी लैड एड का.रु.बनपी अदेश दि. 15.10.99
- 12) अदेश ग्राम पसौंटा के खता स.1550पर.लौनी त.व.वि.गा.बाद के निरु ख न.863/0-6-0.946/1/0-7-0.950/0-11-0.108/0-4-10.1088/3/2-17-13 1292/3-13-5.1363/0-10-0.1373/0-5-0.1447/2-5-0.1516/0-3-0.1527/2/0-16-0.1536/2/0-7-0
- 13) 1557रु.0-8-14.1564/3-16-0.1565/2-6-0. 1577/0-6-0.1604रु.0-3-0.1605रु.0-8-0.1606रु.0-1-17.1607/0-12-15-13.1610/0-3-0.1614/0-10-0.1619/1-3-0.1621/1-18-0.1628/0-18-0 1629/0-8-0.1630/0-4-0.1631/0-3-0.1632/
- 14) 0-3-0.1642/0-0-10.1666/0-0-12.1692/1-3-12 1693/0-4-0.1725/1/5-7-0कुल 34खता 31-15-6-13 पर अतिल अजादी के अगे दर्ज करलौनी महलरसी लैड एड का.रु.का नाम पुषक किया जाला है। ह.ले.
- 15) 1409रु. न्यायालय श्री लखीर अली जपर अर अयुक्त मेरठ मजल मेरठ अदेश दि. 13.7.2000 निरारानी स.98-99 पर.33/39एच.आर.एरट अदिनियम नौ. महलरसी लैड एड का.रु.बनपी बराम पर निरान गा.बाद अनलदा परा अदेश—निरानी स्वीकार की जाती है कि परगना अधिकारी / सहायक कलेक्टर प्रथम श्रेणी गा.बाद द्वारा
- 16) पारित अदेश दि.15.10.99 निरारत किया जाला है
- 17) न्यायालय माननीय सदन परियट 30प्र0 बैच मेरठ अदेश दि. 28.11.2001 निरारानी स.63 पर अर एरट 2000-01 किलत गा.बाद वार निराम गा.बाद बराम मे. महलरसी लैड एड का.रु.बनपी द.लि. अनलदा परा 219 सुअरब अदिनियम —अदेश—ज विवेचना के आधार पर प्रस्तुत निरारानी
- 18) निरारत की जाती है अर अयुक्त मेरठ मजल मेरठ द्वारा पारित अदेश दि.13.7.2000 की पुषी की जाती है।ह.अदिनियम
- 19) In the court of judicialure at allahabad sivil side appellate/original Jurisdiction dated allahabad the 18.3.2002 present the honorable m r Justice Yatindra singh and honorable mr Justice write writ no 11754 of 2002 order on the application of
- 20) order on the application of (order on petition) district Ghazialbad nager nigam ghazialbad versus no-1 The board of Revenue u p ccamp meerut district meerut no.-2 state of u p through collector sissit ghazialbad no.3 Additional commissioner / administration meerut division dissi meerut
- 21) no.4 m/s mahataxmi land and finance company pvt Ltd s B Jindal trust building ashraf ali road new delhi through its manraging director/issue notice Notice on behalf of

उद्घरण खतौनी (अप्रमाणित प्रति)

08/May/2024 10:33:00

ग्राम क्रमांक : 217025 ग्राम का नाम (परामा) : पसौन्डा (लौनी) तहसील : गावियाबाद जनपद : गावियाबाद फसली वर्ष : 1430-1435 (01 कृताई, 2022 से 30 वर, 2028) पृष्ठा : 1

(1) खता संख्या : 036223

respondents no 1 2 and 3 have been accepted by the standing council issue

22) notice to service for respondents no 4 Till further order of the court or operation of the order dated 28.11.2001 remation Stayed s d yalinder singh.18-3-2002

23) न्यायालय परामर्शिकाती/सहायक कलेक्टर (प्रथम श्रेणी)गावियाबाद वार स.8/2005 -06 अनर्नात पृष्ठा 33/393.प. १.प.रा.अ.ग्राम पसौन्डा परामा लौनी तहसील व जिला गावियाबाद सरकार बनाने अर्थात् छजडा आदिसे दिनांक 19-12-05 को अर्देश

रुका कि खतौनी फसली वर्ष

24) 1412 से 1417 फसली के खता स. 2476 के ख.न. 863 रकबा 0.076 ,946/1 रकबा 0.089 ,950 रकबा 0.139 ,1081 रकबा 0.057 ,1088/3 रकबा 0.729 ,1292 रकबा 0.926 ,1373 रकबा 0.063 ,1516 रकबा 0.038

1527/2 रकबा 0.202 ,1536/2 रकबा 0.089 ,1557 मि.रकबा
25) 0.110 ,1565 रकबा 0.582 ,1577 रकबा 0.076 1604 मि. रकबा 0.038 1605 मि. रकबा 0.101 ,1606 रकबा 0.024 ,1607 रकबा 0.162 1610मि. रकबा 0.038 ,1614 रकबा 0.126 ,1619 रकबा 0.278,1621 रकबा

0.481 ,1628 रकबा 0.012 ,1629 रकबा 0.101 ,1630/रकबा 0.051
26) 1631 रकबा 0.038,1632रकबा 0.038 1642 मि. रकबा 0.006 ,1666 रकबा 0.008, 1692 मि. 0.298 ,1693 रकबा 0.051 1725 /मि. रकबा 1.354 पर फसली रकबा जना अर्किर महलरानी रिकड एंड फार्मिंस कं. का नाम

खतौन शेरक बरक दर्ज हो व
27) खता स. 2476 के ख.स.1564 रकबा 0.961 पर अबादी कालौनी महलरानी रिकड एंड फार्मिंस कं. का नाम खतौन शेरक दर्ज हो र.आर.के.21-12-05

कृपया रुका खुले की प्रतिलिपि (भुखार (गाटा) का वार फसल विवरण/मुन्डवारा/नामांतरण दर्जी) हेतु इसका संख्या पर क्लिक करें

Disclaimer: उक्त खतौने का सार्वजनिकता हेतु रकबा विवरण उपलब्ध है, सर्वोपरि कास्टमर सेन्टर द्वारा ही प्रामाणिकता का आश्वासन है, कृपया सर्वोपरि सेन्टर से सत्यापन की सुविधाएं ले लें।

Above content is for information. The information provided online is updated and no physical visit is required. For Certified copy, apply through e-district

portal/CSC/Tehsil Computer Centre

Software Powered By: National Informatics Center Uttar Pradesh State Unit, Lucknow.





BHULEKH
Uttar Pradesh

उद्घरण खतौनी (अप्रमाणित प्रति)

25/Apr/2024 11:18:26

ग्राम क्रमांक : 217025 ग्राम का नाम (एरनाम) : भौन्डा (तेनी)

कहासीत : गाबियानाद

बनारद : गाबियानाद

फसली बर्ष : 1430-1435 (01 बुलाह, 2022 से 30 नव, 2028)

पाना : 1

(1) खाना संख्या : 03623

श्रेणी : 6-2 / अकृषिक भूमि - स्थला, सहाके, रेतले, पथान और ऐसी दूसरी भूमियां जो अकृषिक उपयोगों के काम में लायी जाती हो।

खतौदार का विवरण		खतौदारी प्रारम्भ होने का विवरण		भूमि का विवरण		खतौदार का अर्थ			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
खसत/गाटा संख्या	नाम/शिता-मि-संरक्षक-भूयुक्त का नाम / बारी कोड / अपार नं0 (अन्तिम चार अंकों) अथवा धैन नं0 (6-9 स्थान के अंकों) / पना / चन्मारीशे (असयस्क हेतु)	न्यायालय का नाम / कम्प्यूटरिज बाद संख्या अथवा अदरेश संख्या / अदरेश का दिनांक / बोन का अपार	वर्ष	गाटा (यदीक कोड)	गाटे का कुल क्षेत्रफल(हे)	क्षेत्रफल हे	क्षेत्रफल हे(हे)	खतौदार द्वारा देय सु-उत्पन्न :	
1564	अबादी कालौनी महालक्ष्मी लैण्ड एण्ड // फार्मेशन कम्पनी //			1564(2170251564000062)	0.9610			0.00	
कुल गाटे- एक कुल क्षेत्रफल- शून्य दशमलव नौ छः एक शत (द्विदश)									
कुल भू-मालक - शून्य दशमलव शून्य शून्य धरि									
न्यायदाय / परिवार का विवरण					दरबं किया गया				
न्यायदाय का नाम / कम्प्यूटरिज बाद संख्या अथवा अदरेश संख्या / अदरेश का दिनांक / न्यायदाय का अपार / डिवाइज संख्या का नाम (एरनाम) / डिवाइज संख्या का दिनांक			खतौदार का नाम / बारी कोड / अपार नं0 (अन्तिम चार अंकों) अथवा धैन नं0 (6-9		क्षेत्रफल(हे)		क्षेत्रफल(हे)		
(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)			

उद्घरण खतौनी (अप्रमाणित प्रति)

25/Apr/2024 11:18:26

ग्राम क्रमांक : 217025 ग्राम का नाम (परामा) : पकौडा (तेनी) तहसील : गाबियाबाद जिल्ला : गाबियाबाद फसली वर्ष : 1430-1435 (01 कृता, 2022 से 30 फर, 2028) पाना : 1
(1) खता संख्या : 03623

स्थान के अंक / पता / चम्पारि (अवयवक हेतु)	1564(2170251564000062)	1.1) 0.0000 1.2) 0.0000	1.1) शीला/-	1564(2170251564000062)	1.1) 0.0000
1) अन्व /sn 27 /21-12-2005 विजय /ROOP CHANDA (REVENUE INSPECTOR) /07-10-2023	1.1) आबादी कालौनी मरालक्ष्मी हेण्ड एण्ड/ (शेव क्षेत्रफल : 0.0000) 1.2) फाइनिस कम्पनी/ (शेव क्षेत्रफल : 0.0000)	1.1) 0.0000 1.2) 0.0000			
(17) भूमि के सम्बन्ध में विचाराधीन यावत वाद की कम्प्यूटरीकृत संख्या :					
(18) बन्द/बन्द-मुक्त होने की स्थिति (18.1) बन्द होने की स्थिति (संस्था अथवा बैंक का नाम/कोर्ड/बचक वा दिनांक/परामा/अर्देन संख्या/खतौना(विवा-पति-संयक)) :					
(18.2) बन्द-मुक्त होने की स्थिति (संस्था अथवा बैंक का नाम/कोर्ड/बचक-मुक्त का दिनांक/परामा/अर्देन संख्या/खतौना(विवा-पति-संयक)) :					
(19) अपर्युक्ति :					

उद्युण खतौनी (अप्रमाणित प्रति)

25/Apr/2024 11:18:26

ग्राम क्रमांक : 217025 ग्राम का नाम (पराम) : पतौडा (तौली) तारीख : गांधीनगर नगर : गांधीनगर फ्लॉरी नं : 1430-1435 (01 नुतरी, 2022 में 20 नं, 2028) पाना : 1
(1) अला संख्या : 03623

पुई अदेशी का विवर

- 1) 1392नं. अदेशासुरा परामनिकारी मली नर स. 17/84-85सकर नमम मलारसी सैड एड कापिसा कपनी मे अदेशा रुअ कि. पली के उला स. 822ने सल 1390नं. से 1395नं. संनन उला स. 247 से मलारसी सैड का. क. का नाम जारिब कानके केवल अलादी दई लेना ह0से0अ0-10-4-85
- 2) I Accordingly allow the writ petition quass the order dated 29.8.96passed by the bord of revenue in reference no409 (L.R.)24-85
- 3) जारिब करके केवल अलादी दई लेना स. 10.4.85
- 4) निरानी निराराच कक अर न्यायालय के अदेश का विचारन व अमलदार स्थिति किया जाता है। स. 10.4.85
- 5) न्यायालय अर अयुक्त मंडल मंडल अतिरिक्त अयुक्त मली की अला की प्रती जो कार्यवाही स्थिति सई का निरानी स. 21/84-85पला 33/29 ग्राम पतौडा प. तौली स. ग. मलारसी सैड एड का. क. नमम व. सी. सैड अदेशी कानिके
- 6) श्री एन के. निवेदी प. अधिकाारी की रि. 23.5.85की अला के विवर वार स. 16/84-85 पला 33/29एल. अर एड साकार नमम मलारसी सैड एड का. क. मे रती है। अदेशा निरानी कली के किनड अरनिरी को सुन
- 7) 1404नं. अदेशासुरा श्रीमान र. मली. ग. वार विधि प्रथम व स. 22/96नं रि. 28. 10.96को अदेशा रुअ कि माननीय रज्ज न्यायालय रलावार है व लउज मे एल. रि. कापिसा स. 1993(ए. ए.) वं 1996में मलारसी सैड एड का. क.
- 8) प्र. लि. नमम वई अर. रैवन् लउज व लर अर मे पारि सिम अदेशा रि. 30.9.96 का खतौनी 1390नं. के उला स. 822व संनन उला स. 247 वर उलाच अमलदार निराराच किया वर
- 9) and the S.D.O. Ghaziabad dated 23.3.85 The entry shall be maintained. The S.D.O. Ghaziabad may decide the case of contraction under section 33/39U.P. land revenue act in the light observations mode above
- 10) about the scope of section 33of U.P. land revenue act and thau he shall give appor- tunily of hearing to the petitioner no cosle . S.D.B.K.sing honble(J) 30.9.96
- 11) 1407नं. न्यायालय परामनिकारी/सल. कनेकर प्रम श्री ग. वार वार स. 4/98-99पला 33/39 एल. अर एड ग्राम पतौडा प. तौली व व रि. ग. वार साकार नमम मे. मलारसी सैड एड का. क. नमम अदेशा रि. 15.10.99
- 12) अदेशा ग्राम पतौडा के उला स. 1550प. तौली व. रि. ग. वार के सिम व. 863/0-6-0.946/1/0-7-0.950/0-1-0.1081/0-4-10.1088/3/2-17-13 1292/3-13-5.1353/0-10-0.1373/0-5-0.1447/2-5-0.1516/0-3-0.1527/2/0-16-0.1536/2/0-7-0
- 13) 1557नि/0-8-14.1564/3-16-0.1565/2-6-0. 1577/0-6-0.1604नि/0-3-0.1605नि/0-8-0.1606नि/0-1-17.1607/0-12-15-13.1610/0-3-0.1614/0-10-0.1619/1-3-0.1621/1-18-0.1628/0-0-18-0 1629/0-8-0.1630/0-4-0.1631/0-3-0.1632/
- 14) 0-3-0.1642/0-0-10.1666/0-0-12.1692/1-3-12 1693/0-4-0.1725/1/5-7-0कुल 34कला 31-15-6-13 पर अतिर अलादी के अरी दई कलौनी मलारसी सैड एड का. क. का नाम एरक किया जाता है। स. ले.
- 15) 1409नं. न्यायालय श्री तनवर अली नर अर अयुक्त मंडल मंडल अदेशा रि. 13.7.2000 निरानी स. 98-99 प. 33/39ए. वार अरि सिम मे. मलारसी सैड एड का. क. नमम वर सिम ग. वार अमलार वर अदेशा—निरानी रलावार की वाली है कि पराम अधिकाारी / सलारक कनेकर प्रम श्री ग. वार वर
- 16) पारि अदेशा रि. 15.10.99 निराराच किया जाता है
- 17) न्यायालय माननीय सलर वार वर पारि 2090 नैम मंडल अदेशा रि. 28.11.2001 निरानी स 63 एल अर एड 2000-01 किला ग. वार नर सिम ग. वार वर मे. मलारसी सैड एड का. क. नमम व. रि. अमलार वर 219 प. वर अरि सिम —अदेशा—अर निराराच के अर प. प्ररु निरानी
- 18) निराराच की वाली है अर अयुक्त मंडल मंडल मंडल वर पारि अदेशा रि. 13.7.2000 की पुरी की वाली है व अरि
- 19) In the court of judicialure at allahabad siwl side appellate/original Jurisdiction dated allahabad the 18.3.2002 present the honorable m r Justice Yaindra singh and honorable mr Justice write writ no 11754 of 2002 order on the application of
- 20) order on the application of (order on petition) district Ghaziabad nager nigam ghaziabad versus no-1 The board of Revenue u p ccamp meerut district meerut no.-2 state of u p through collector siss ghaziabad no.3 Additional commissioner / administration meerut division distt meerut
- 21) no.4 m/s mahalaxmi land and finance company pvt Ltd s B jindal trust building ashraf ali road new delhi through its managing director/issue notice Notice on behalf of respondents no 1 2 and 3 have been accepted by the standing council issue
- 22) notice to service for respondents no 4 Till further order of the court or operation of the order dated 28.11.2001 remanion Stayed s d yabinder singh. 18-3-2002
- 23) न्यायालय परामनिकारी /सलारक कनेकर (प्रम श्री ग.) पारि वार स. 8/2005 -06 अरनिरी वर 33/39उ. व. प. अ. प्रम पतौडा पराम स. तौली व व रि. ग. वार साकार नमम अर अरि सिम अरि सिम 19-12-05 को अदेशा एअ कि. खतौनी कली वर

उद्घरण खतौनी (अप्रमाणित प्रति)

25/Apr/2024 11:18:26

ग्राम क्रमांक : 217025 ग्राम का नाम (पराम): फौन्डा (तेनी) तहसील : गोरखगढ़ बरगद : गोरखगढ़ फसली नं: 1430-1435 (01 जुलाई, 2022 से 30 द्, 2028) पन्ना : 1 (1) खता संख्या : 03623

24)	1412 से 1417 फसली के खता नं. 2476 के ख.नं. 863 रकमा 0.076 ,946/1 रकमा 0.089 ,950 रकमा 0.139 ,1081 रकमा 0.057 ,1088 /3 रकमा 0.729 ,1292 रकमा 0.926 ,1373 रकमा 0.063 ,1516 रकमा 0.038
	1527/2 रकमा 0.202 ,1536/2 रकमा 0.089 ,1557 मि.रकमा
	25),0.110 ,1565 रकमा 0.582 ,1577 रकमा 0.076 ,1604 मि. रकमा 0.038 ,1605 मि. रकमा 0.101 ,1606 रकमा 0.024 ,1607 रकमा 0.162 ,1610मि. रकमा 0.038 ,1614 रकमा 0.126 ,1619 रकमा 0.278 ,1621 रकमा
	0.481 ,1628 रकमा 0.012 ,1629 रकमा 0.101 ,1630रकमा 0.051
	26) 1631 रकमा 0.038 ,1632रकमा 0.038 ,1642 मि. रकमा 0.006 ,1666 रकमा 0.008 ,1692 मि. 0.298 ,1693 रकमा 0.051 1725 /4मि. रकमा 1.354 पर फसली ग्रन्थि द्वा अक्रिय मालकनी रैण्ड एण्ड कार्बनिम कं. का नाम
	खतिय रैकर बजा दर्ज हो व
	27) खता नं. 2476 के ख.नं. 1564 रकमा 0.961 पर आबारी कालीनी मालकनी रैण्ड एण्ड कार्बनिम कं. का नाम खतिय रैकर दर्ज हो व.अक्र.कं.21-1-2-05

कृपया उक्त खतौनी प्रतियति (पुखंड (गाटा) के बाद प्रस्त विवरण अनुसंधान/निर्माण वाली) हेतु खतौनी संख्या पर नितिक करें

Disclaimer: उक्त अक्रिये गान अवलोकनार्थ है, उक्त विवरण अप्रामाणिक है, तहसील कार्यालय केन्द्र पन्ना सी.एच.सी/लोकवाणी केन्द्र से उद्घरण की प्रमाणित प्रति प्राप्त की जा सकती है।

Above content is for information. The information provided online is updated and no physical visit is required. For Certified copy, apply through e-district

portal/CSC/Tehsil Computer Centre.

Software Powered By: National Informatics Center, Uttar Pradesh State Unit, Lucknow.





BHULEKH
Uttar Pradesh

उद्धरण खतौनी (अप्रमाणित प्रति)

08/May/2024 10:34:25

ग्राम क्रमांक : 217025 ग्राम का नाम (परामा) : फरीदा (तोनी)

तहसील : गावियाबाद

जनपद : गावियाबाद

फसली वर्ष : 1430-1435 (01 जुलाई, 2022 से 30 जून, 2028)

पन्ना : 1

(1) खता संख्या : 03647

श्रेणी : 6-2 / अकृषिक भूमि - स्थान, सड़के, रेलवे, भवन और ऐसी दूसरी भूमियां जो अकृषित उपयोगों के काम में लायी जाती हैं।

खतौदार का विवरण		खतौदारी प्रारम्भ होने का विवरण		भूमि का विवरण		खतौदार का अंश			
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)		
खसरा/ गाटा संख्या	नाम/जमीन-मालिक-प्रबंधक का नाम / जमीन कोड / अपार नं0 (अन्तिम चार अंकों) अथवा पैन नं0 (6-9 स्थान के अंकों) / पता / जन्मतिथि (अवसरक हेतु)	न्यायालय का नाम / कम्प्यूटीकृत वार संख्या अथवा अदालत संख्या / आदेश का दिनांक / जोत का अपार	वर्ष	गाटा (पट्टीक कोड)	गाटे का कुल क्षेत्रफल (हे०)	हिस्से में	क्षेत्रफल में (हे०)	खतौदार द्वारा देय न्यूनतम	
2476	हिन्दन एयर फील्ड / /			2476(2170252476000062)	0.0760			0.00	
कुल गाटे-एक कुल क्षेत्रफल-इन्च टोपासलव शून्य सात छः शून्य (हेक्टर) कुल भू-भागलव - शून्य टोपासलव शून्य शून्य सात									
न्यायन्याय / परिवर्तन का विवरण				खतौदार किया गया				नई किया गया	
(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)			
न्यायालय का नाम / कम्प्यूटीकृत वार संख्या अथवा अदालत संख्या / आदेश का दिनांक / न्यायन्याय का अपार / डिब्रिटल हस्ताक्षर नाम (पदानाम) / डिब्रिटल हस्ताक्षर दिनांक	नाम/जमीन-मालिक-प्रबंधक का नाम / जमीन कोड / अपार नं0 (अन्तिम चार अंकों) अथवा पैन नं0 (6-9 स्थान के अंकों) / पता / जन्मतिथि (अवसरक हेतु)	गाटे का खसरा नम्बर / पट्टीक कोड	क्षेत्रफल (हे०)	नाम/जमीन-मालिक-प्रबंधक का नाम / जमीन कोड / अपार नं0 (अन्तिम चार अंकों) अथवा पैन नं0 (6-9 स्थान के अंकों) / पता / जन्मतिथि (अवसरक हेतु)	गाटे का खसरा नम्बर / पट्टीक कोड	क्षेत्रफल (हे०)			
(17) भूमि के सम्बन्ध में विचारणीय मामलव वार की कम्प्यूटीकृत संख्या :									

उद्घरण खतौनी (अप्रमाणित प्रति)

08/May/2024 10:34:25

ग्राम क्रमांक : 217025 ग्राम का नाम (परामा) : पसौन्दा (लोनी) तहसील : गाजियाबाद जनपद : गाजियाबाद फसती वर्ष : 1430-1435 (01 जुलाई, 2022 से 30 जून, 2028)

भाग : 1
(1) खाला संख्या : 03647

(18) बंधक/बंधक-मुक्त होने की स्थिति

(18.1) बंधक होने की स्थिति (संस्था अथवा बैंक का नाम/कोड/बंधक का दिनांक/धनराशि/अवैदन संख्या/खतौदार(पिता-पति-संरक्षक)) :

(18.2) बंधक-मुक्त होने की स्थिति (संस्था अथवा बैंक का नाम/कोड/बंधक-मुक्त का दिनांक/धनराशि/अवैदन संख्या/खतौदार(पिता-पति-संरक्षक)) :

(19) अभ्युक्ति :

पूर्व अट्टेशी का विवरण


इसका उक्त खसरे की प्रसिद्धि (भूखंड (गाटा) के बाद प्रस्ता/विजया/भू-नक्शा/नामांतरण वही) हेतु खसरा संख्या पर क्लिक करें


Disclaimer: उक्त ऑनलाइन मातृ अभिलेखनार्थ है, उक्त विवरण अपडेट है, तदर्थीत कामपदर केन्द्र (एम सी. एम. सी/लोकवणी केन्द्र) से उद्घरण की प्रमाणित प्रति प्राप्त की जा सकती है।


Above content is for information. The information provided online is updated and no physical visit is required. For Certified copy, apply through e-district portal/CSC/Tehsil Computer Centre.

Software Powered By: National Informatics Center, Uttar Pradesh State Unit, Lucknow.









TRIVIA X50 F...
MAY 2024





264

53





266

55



267

56



